केवल आप के लिये
गांव–गांव शहर–शहर देश दुनियां में अपनों तक पहुंचाना है तो भारतीय बस्ती दैनिक वेब www.bhartiyabasti.com और उसका छपा संस्करण सबसे बेहतर माध्यम
सम्पर्क–bhartiyabasti@gmail.com
मो0 9450567450| 9336715406

दैनिक
भारतीय बस्ती

भारतीय बस्ती
www.bhartiyabasti.com
के लिये विज्ञापन बुक कराये।
विचार, प्रचार का सशक्त माध्यम
सम्पर्क
मो0 9336715406
8400925463

भारतीय बस्ती आमंत्रण मूल्य 2रूपया

R.N.I. 38784/81 डाक पंजीकरण सं0 B.S.T 59 बस्ती, वर्ष :47 अंक 342 बुधवार 8 जुलाई 2026 (बस्ती संस्करण) बस्ती एवं अयोध्या–फैजाबाद से एक साथ प्रकाशित पृष्ठ :4मूल्य:3.00 रुपया www.bhartiyabasti.com

बदरीनाथ चढ़ावा चोरी पर नया खुलासा

हरिद्वार (आभा)। बदरीनाथ धाम में कथित चढ़ावा चोरी प्रकरण पर जांच समिति को अपनी रिपोर्ट सोमवार तक सौंपनी है, लेकिन अभी तक समिति के सदस्य धाम नहीं पहुंचे हैं। उधर, इस प्रकरण में अब नई बात सामने आई है। हेराफेरी के आरोपों से घिरे बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के निजी सहायक का करियर ग्राफ मंदिर समिति की कृपा से तेजी से बढ़ा है। वर्ष 2014 में इंटरनेट कोऑर्डिनेटर के एकल पद पर नियुक्त हुए। इस पद पर पदोन्नति संभव नहीं थी। इसके बावजूद 2018 में उन्हें सीधी भर्ती वाले व्यक्तिगत सहायक पद पर समायोजित किया गया। इसके लिए 2023 में नियमावली में बदलाव कर जनसंपर्क विशेष अधिकारी के पद पर पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त किया गया। निजी सहायक होने के बावजूद उन्हें चढ़ावा गणना कार्य में तैनात किया गया।

बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि जरूरत पड़ी तो मामले में स्वतंत्र या प्रशासनिक जांच की भी कराई जाएगी। कहा कि जिस आरोपी कर्मचारी को लेकर इतना बवाल मचा है, उसकी स्थायी नियुक्ति वर्ष 2014 में तत्कालीन अध्यक्ष गणेश गोदियाल के कार्यकाल के दौरान ही हुई थी।

भाजपा नगर मण्डल की बैठक में सांगठनिक मजबूती पर जोर

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी कार्यालय, पर नगर मंडल की सांगठनात्मक मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में संगठन की आगामी गतिविधियों, बूथ सशक्तिकरण, जनसम्पर्क अभियान एवं विभिन्न संगठनात्मक विषयों पर विस्तार से चर्चा के साथ ही कार्यकर्ताओं को आगामी कार्यक्रमों के संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए।

बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अंकुर वर्मा जी, भाजपा किसान मोर्चा के क्षेत्रीय महामंत्री रामानन्द उर्फ नन्हें भइया जी, पूर्व नगर अध्यक्ष राजन मिश्रा, पूर्व नगर अध्यक्ष अरुण भारती, नगर प्रभारी दिव्य प्रकाश, मनमोहन श्रीवास्तव 'काजू', डब्बू श्रीवास्तव, महेंद्र सोनी , विजय कुमार श्रीवास्तव , अशोक कुमार श्रीवास्तव, विजय ओझा, पूजा अग्रहरि, संजय गुप्ता, संदीप कनौजिया, अरविंद चौधरी , रवि शर्मा 'आईटी', अजीम अहमद, रवि शर्मा, अशोक पाण्डेय के साथ ही नगर मंडल के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वक्ताओं ने कहा कि कार्यकर्ता और पदाधिकारी भाजपा के संदेश से जन–जन को जोड़े और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्रों को दिलाने में सहयोग करे।

बैठक में संगठन को और अधिक सशक्त बनाने तथा आगामी कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक संपन्न कराने का संकल्प लिया गया।

जमीन विवाद में पुलिस पर मारपीट का आरोप, कार्रवाई की मांग

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । कलवारी थाना क्षेत्र स्थित ग्राम कुसौरा में जमीन कब्जे को लेकर हुए विवाद में पुलिस पर ज्यादती का गंभीर आरोप लगा है। पीड़िता सबा, पुत्री स्व. मो. कासिम, निवासी कुसौरा ने पुलिस उपमहानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है।

पत्र में सबा ने कहा है कि गत 5 जुलाई को दिन में करीब 11 बजे नागेन्द्र पुत्र रामजतन ने उसकी जमीन, जहां उसके पुरखों की आरा मशीन लगी थी पर जबरन दीवार बनाकर कब्जा करने का प्रयास किया। सूचना मिलने पर सबा, उसकी मां कुलसुम बानो और भाई सुफियान मौके पर पहुंचे और काम रोकने को कहा, जिस पर नागेन्द्र उग्र हो गये। इसके बाद परिवार ने महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 पर फोन किया, जिस पर थाने से पुलिस मौके पर पहुंची।

आरोप है कि नागेन्द्र के बुलाने पर दरोगा एस.एन. सिंह मौके पर पहुंचे और बिना मामले की जांच किए सबा व उसके परिवार के साथ अभद्रता की। परिवार का आरोप है कि दरोगा ने सबा का कॉलर व गला पकड़कर धक्का दिया और जबरन थाने ले गए, जहां शाम तक हवालात में बंद रखने के बाद 107, 151 की धाराओं में चालान कर एसडीएम कोर्ट भेज दिया गया।

पीड़ित परिवार ने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराकर दोषी दरोगा के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की मांग की है। मामले में पुलिस विभाग की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

कट्टा दिखाकर युवक से मारपीट, 25 हजार नकद और सोने की अंगूठी लूटने का आरोप

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। नगर थाना क्षेत्र में तीन युवकों द्वारा एक व्यक्ति को कट्टा दिखाकर मारपीट करने के साथ ही नकदी व सोने की अंगूठी लूट लेने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने थाना नगर में तहरीर देकर आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। तहरीर के अनुसार, थाना नगर क्षेत्र के ग्राम सोहिया निवासी सोमई पुत्र मगरू ने बताया कि वह रात करीब 9.45 बजे नगर बाजार से अपने घर लौट रहे थे। आरोप है कि हथिया और पिडावल के बीच गांव के वीर प्रताप यादव पुत्र गिरजेश यादव, रिंकल यादव पुत्र बाबूलाल यादव तथा कन्जौरा गांव निवासी विजय यादव पुत्र पारस यादव ने उनका रास्ता रोक लिया।

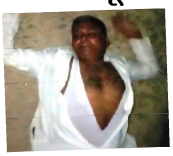

पीड़ित का आरोप है कि आरोपियों ने उनके कान पर तमंचा (कट्टा) तान दिया, बाइक से गिराकर लात–घूंसों से मारपीट की और गाली–गलौज करते हुए जान से फंसाने की धमकी दी। मारपीट के दौरान वह बेहोश हो गए। होश आने पर उन्होंने देखा कि उनके पास रखे 25 हजार नकद और लगभग 10 ग्राम वजन की सोने की अंगूठी गायब थी। उनका आरोप है कि आरोपी नकदी और अंगूठी लेकर फरार हो गए।

सोमई के अनुसार, होश में आने के बाद उन्होंने परिजनों को फोन किया। कुछ देर बाद डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची। परिजन और ग्रामीण भी घटनास्थल पर पहुंचे। इसके बाद 108 एम्बुलेंस से उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहादुरपुर (कलवारी) ले जाया गया, जहां से चिकित्सकों ने जिला अस्पताल बस्ती रेफर कर दिया। वर्तमान में उनका उपचार चल रहा है।

पीड़ित ने तहरीर में यह भी आरोप लगाया है कि आरोपी दबंग प्रवृत्ति के हैं और पूर्व में भी इस प्रकार की घटनाओं में शामिल रहे हैं। उन्होंने स्वयं और अपने परिवार की जान–माल को खतरा बताते हुए पुलिस से मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

रजिस्ट्री जमीन पर जेसीबी से जबरन कब्जे का आरोप: फरियादी ने डीएम से लगाया न्याय की गुहार

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । कलवारी थाना क्षेत्र के बेइली में रजिस्ट्री बैनामाशुदा भूमि पर जेसीबी मशीन लगाकर जबरन अवैध कब्जे और निर्माण कार्य का मामला सामने आया है। पीड़ित ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी से करते हुए तत्काल कार्यवाही की मांग की है।

संतकबीरनगर जिले के धनघटा थाना क्षेत्र के ग्राम दुल्हापार कला निवासी महमूद्दल हसन खान पुत्र मोहम्मद सफात ने बताया कि उन्होंने बस्ती जनपद के मौजा बेइली स्थित गाटा संख्या 842 में से 56 वर्ग मीटर भूमि का रजिस्ट्री बैनामा 5 अगस्त 2022 को कराया था, जिसका नामांतरण भी हो चुका है। इसी गाटे में से कुछ भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए पूर्व में अधिग्रहीत की जा चुकी है। पीड़ित के अनुसार शेष बची भूमि

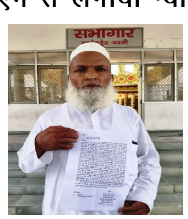

के सीमांकन के लिए उप जिलाधिकारी सदर की अदालत में वाद दाखिल किया गया था, लेकिन राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही समाप्त कर दी गई। इसके बाद थाना समाधान दिवस में भी शिकायत की गई, जिसमें दोनों पक्षों की सहमति से 14 जून 2026 को निशानदेही तय हुई थी।

आरोप है कि निशानदेही के दौरान ग्राम बेइली निवासी रमजान अली, अकबर अली, हैदर अली और शेर मोहम्मद जबरन मौके पर पहुंचे और जान से मारने की धमकी देते हुए गाली–गलौज की। आरोपियों ने खेत की मेड़ तोड़कर अपने खेत में मिला ली और जेसीबी मशीन लगाकर बैनामाशुदा जमीन पर निर्माण कार्य शुरू करा दिया।

पीड़ित ने बताया कि थानाध्यक्ष व पुलिस अधीक्षक से शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने जिलाधिकारी बस्ती को प्रार्थना–पत्र देकर अवैध कब्जा व निर्माण तत्काल रुकवाने तथा दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की मांग की है।

पिटाई के बाद दबंग दे रहे हैं फर्जी मामलों में फंसाने की धमकी: दोषियों के गिरफ्तारी की मांग

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। मुण्डेरवा थाना क्षेत्र के ग्राम मरवटिया बाबू में पैसे के लेन–देन के विवाद को लेकर हुई कथित मारपीट के मामले में पुलिस ने चार नामजद आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़ित पक्ष ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग करते हुए जान–माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। पीड़िता इन्द्रसती पत्नी ज्ञानदास, निवासी मरवटिया बाबू, थाना मुण्डेरवा ने थानाध्यक्ष को दिए गए तहरीर में कहा है कि गत 5 जुलाई को दोपहर लगभग 2.30 बजे पैसे के लेन–देन को लेकर गांव के ही चन्दन पुत्र रामदेव, दिवाकर पुत्र रामदेव, सोहनलाल पुत्र रामभरत उर्फ राजू तथा रामदेव पुत्र रामलाल ने उन्हें, उनकी पुत्री जानकी देवी और नातिन करीना के साथ गाली–गलौज करते हुए लाठी–डंडों से मारपीट की। इस घटना में तीनों को चोटें आईं। पीड़िता का आरोप है कि आरोपियों ने पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। शोर–शराबा सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बीच–बचाव कराया।

मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना मुण्डेरवा पुलिस ने नामजद आरोपियों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद उन्हें पुलिस से न्याय की उम्मीद बढ़ी है, लेकिन आरोपी अभी भी परिवार को लगातार धमकियां दे रहे हैं तथा फर्जी मुकदमे में फंसाने की बात कह रहे हैं।

पीड़िता ने पुलिस प्रशासन से आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी कर उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई किए जाने तथा परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।

कांवड़ यात्रा में नकली नोट खपाने की साजिश: 10 गिरफ्तार

हरिद्वार (आभा)। धर्मनगरी हरिद्वार की भीड़ और यहां हर दिन पहुंचने वाले हजारों श्रद्धालुओं को नकली नोट गिरोह आसान निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले सात दिनों में जिले में नकली नोटों के तीन मामलों का खुलासा हुआ है। इनमें दो मामले श्यामपुर थाना क्षेत्र और एक शहर कोतवाली क्षेत्र का है। तीनों मामलों में पुलिस ने कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर एक लाख 85 हजार रुपये के नकली नोट बरामद किए हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि तीनों मामलों में आरोपियों का मकसद हरिद्वार की भीड़भाड़ वाले बाजारों, दुकानों और छोटे कारोबारियों के बीच नकली नोट खपाना था। हरिद्वार में रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं। ऐसे में छोटे लेनदेन के दौरान नकली नोट आसानी से चलने की संभावना रहती है, जिसका फायदा उठाने की साजिश रची जा रही थी।

जांच में यह भी सामने आया है कि तीनों मामलों में नकली नोटों का कनेक्शन जिले के बाहर से जुड़ा है। श्यामपुर थाना क्षेत्र में पकड़े गए गिरोह के आरोपियों ने नकली नोट खुद तैयार किए थे और इसके लिए प्रिंटर समेत अन्य उपकरणों का इस्तेमाल किया था। वहीं शहर कोतवाली में पकड़े गए गिरोह के आरोपी नकली नोट पंजाब से लेकर आए थे।

पुलिस अधिकारियों का मानना है कि कांवड़ यात्रा और पर्यटन सीजन के दौरान हरिद्वार में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए ऐसे गिरोह सक्रिय होने का प्रयास करते हैं। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इन गिरोहों के तार किन राज्यों और किन बड़े नेटवर्क से जुड़े हैं, ताकि पूरे नेटवर्क पर कार्रवाई की जा सके।

कोतवाली नगर पुलिस ने शक होने पर पुलिस ने पीछा कर उन्हें टिबड़ी तिराहे की ओर करीब 20–25 मीटर आगे घेरकर पकड़ लिया। तलाशी के दौरान सरजीत सिंह के कब्जे से 500 रुपये के 39 नकली नोट (19,500 रुपये), टिंकू से 43 नकली नोट (21,500 रुपये), सुमित कुमार से 41 नकली नोट (20,500 रुपये) और संजीव कुमार से 46 नकली नोट (23,000 रुपये) बरामद हुए। इस तरह चारों के कब्जे से कुल 169 नकली नोट, जिनकी कीमत 84,500 रुपये है, बरामद किए गए।

बसपा ओबीसी सामाजिक भाईचारा समीक्षा बैठक में संगठन के मजबूती पर जोर

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। मंगलवार को बहुजन समाज पार्टी सामाजिक भाई चारा अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी संगठन की जनपद स्तरीय समीक्षा बैठक महादेवा विधानसभा क्षेत्र के अक्सड़ा चौराहा पर आयोजित की गई। बैठक में संगठन की मजबूती, आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों तथा ओबीसी समाज के बीच पार्टी की नीतियों को प्रभावी ढंग से पहुंचाने पर चर्चा की गई।

मुख्य अतिथि बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं मुख्य मंडल संयोजक भीम राजभर ने कहा कि कार्यकर्ताओं को किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा कि बसपा सरकार के दौरान ओबीसी समाज के हित में किए गए कार्यों को जनता तक पहुंचाकर आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी को मजबूत करना है और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को पांचवीं बार प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाना है।

बैठक की अध्यक्षता करते हुये मुख्य मंडल संयोजक बस्ती मण्डल उदय भान ने कहा कि सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करें और पूरी निष्ठा के साथ आगामी चुनाव की तैयारियों में जुट जाएं।

विशिष्ट अतिथि एवं जिला संयोजक पिछड़ा वर्ग सामाजिक भाईचारा के.सी. मौर्य ने कहा कि ओबीसी समाज को बहुजन समाज पार्टी को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि समाज के मान–सम्मान के लिए पार्टी की नीतियों को जन–जन तक पहुंचाएं। संचालन करते हुये जिला संयोजक पिछड़ा वर्ग सामाजिक भाईचारा अनूप कुमार ने कहा कि संगठन की मजबूती ही आगामी चुनाव में सफलता की कुंजी है और सभी कार्यकर्ताओं को मिलकर पार्टी को मजबूत करना होगा।

बैठक में सुरेन्द्र आजाद, महेश चंद्रवंशी, दयाशंकर, अनिल मौर्य, अनिल आजाद, के.पी. राठौर, जय प्रकाश मौर्य, मिशन सिंगर मनीष कुमार प्रेमी, विजय नंद पाल, फूलचंद राजभर, महेश यादव, रवि मौर्य, शैलेश मौर्य, वीरेंद्र मौर्य, शिवकुमार प्रजापति, शिमूरत राजभर, कन्हैया राजभर, संजय चौधरी, ओमप्रकाश यादव, रोहित विश्वकर्मा, श्यामभवन बौद्ध, प्रदीप गौतम, रामचेत निराला, पवन यादव, राम अचल राजभर, सचिन मौर्य, साधना गौतम, छांटकी प्रसाद, शिंगरी देवी राजभर, तुलसी राजभर, सुखलाल गोंड, जगदीश मौर्य, शिवाराम भारती, दीपचंद, राजेंद्र, वीरेंद्र प्रताप, देवेंद्र कुमार, हाजी अशफाक अहमद, असगर अली, वकार अहमद, लालमन लवकुश, विष्णु सक्सेना, उत्तम, रामप्रसाद सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे।

-विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाय बसपा कार्यकर्ता-भीम राजभर

सीडीए एकेडमी के 16 वें स्थापना दिवस पर रोपे एक पेड़ मां के नाम: दिया पर्यावरण रक्षा का संदेश

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । मंगलवार को सीडीए एकेडमी, चंद्रनगर मथौली बनकटी के 16 वें स्थापना दिवस पर विद्यालय प्रबंधक अध्यक्ष प्रतिनिधि एवं वरिष्ठ भाजपा नेता इं. अरविंद पाल के संयोजन में 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के तहत भव्य वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रभागीय वनाधिकारी डीएफओ डॉ. शिरीन एवं वन क्षेत्राधिकारी शकील अहमद ने नगर पंचायत बनकटी के विभिन्न शिक्षण संस्थानों एवं कार्यालय परिसरों में विभिन्न प्रजातियों के आम के पौधों का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

वृक्षारोपण कार्यक्रम सीडीए एकेडमी, चंद्रनगर मथौली, एच.आर. उपाध्याय इंटर कॉलेज (बनकटी), रियासत इंटर कॉलेज (पंखोबारी), आदर्श विद्या मंदिर इंटर कॉलेज (कथरुआ) तथा नगर पंचायत कार्यालय परिसर में आयोजित किया गया। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण, हरित भविष्य और प्रकृति के प्रति जन–जागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया गया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इं. अरविंद पाल ने कहा कि 'एक पेड़ माँ के नाम' केवल एक अभियान नहीं, बल्कि मातृत्व, प्रकृति और आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी का सशक्त संकल्प है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाकर उसकी देखभाल करनी चाहिए, तभी पर्यावरण संरक्षण का उद्देश्य सफल होगा। कार्यक्रम में बीएसएनएल के प्रधान महाप्रबंधक से ई. अरविन्द पाल ने शिकायत किया कि यहां नेटवर्चक नहीं मिलता। उन्होने कहा कि भद्रेश्वरनाथ और बनकटी में शीघ्र बीटीएस स्थापित करा दिया जायेगा जिससे नेटवर्क की समस्या दूर होगी।

डॉ. अरुणा पाल ने कहा कि वृक्ष मानव जीवन का आधार हैं। बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने सभी लोगों से पौधे लगाने के साथ–साथ उनके संरक्षण का भी संकल्प लेने का आह्वान किया। कहा कि छात्रों को भी निरन्तर पौधरोपण के लिये प्रेरित करने के साथ ही उन्हें पर्यावरण की जानकारी दिया जाता है।

इस अवसर पर रवि चंद्र पाण्डेय, अश्वनी उपाध्याय, रामायण सिंह, अनिल मौर्य, सुग्रीव पाल, विवेकानन्द शुक्ला, रमेश अग्रहरि, बाबूराम चौधरी, सुशील त्रिपाठी, मंडल अध्यक्ष अंकित पाण्डेय, पवन, विद्यानन्द, परमात्मा यादव, राजेन्द्र यादव, रामजीत यादव, राम मोहन पाल, शैलेंद्र श्रीवास्तव, आशीष श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रीय नागरिक, शिक्षक और छात्र उपस्थित रहे।

कांग्रेस ने सद्बुद्धि पद यात्रा निकालकर किया श्रीराम मंदिर चढ़ावा प्रकरण के निष्पक्ष जांच की मांग

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर मंगलवार को बस्ती में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जिला अध्यक्ष विश्वनाथ चौधरी के नेतृत्व में 'सद्बुद्धि पदयात्रा' निकाली गई। पदयात्रा जिला कांग्रेस कार्यालय से प्रारंभ होकर गायत्री शक्तिपीठ मंदिर तक पहुंची, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रार्थना कर कार्यक्रम का समापन किया।

इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अयोध्या स्थित श्रीराम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी एवं वित्तीय अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि इस प्रकरण से करोड़ों रामभक्तों की आस्था आहत हुई है, इसलिए पूरे मामले की उच्च न्यायालय के सिटिंग जज से निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए।

जिला अध्यक्ष विश्वनाथ चौधरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की मांग है कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही श्रीराम मंदिर ट्रस्ट को भंग कर मंदिर की व्यवस्था चारों पीठों के शंकराचार्यों एवं श्रीराम मंदिर के सम्मानित महंतों को सौंपी जाए, ताकि श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास बना रहे। कहा कि 'सद्बुद्धि पदयात्रा' का उद्देश्य आस्था से जुड़े इस मुद्दे पर निष्पक्ष जांच की मांग उठाना और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित कराना है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता देवेन्द्र श्रीवास्तव, पूर्व अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र पाण्डेय 'ज्ञानू' वृजेश आर्य, डा. वाहिद अली सिद्दीकी, डा. आलोक रंजन, शौकत अली 'नन्हू', नर्वदेश्वर शुक्ला, अलीम अख्तर, मो. रफीक खान आदि ने कहा कि संघ परिवार, विश्व हिन्दू परिषद और भारतीय जनता पार्टी का चाल, चेहरा चरित्र उजागर हो गया है। श्रीराम मंदिर के चंदे की चोरी से देश के श्रीराम भक्तों की आस्था को गहरा आघात लगा है। अच्छा हो कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और जिम्मेदार चुप्पी तोड़े। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि चम्पत राय और अनिल मिश्र जैसे जिम्मेदारों के त्याग पत्र से ही स्पष्ट है कि उन्हें बचाने के लिये बड़ी ताकतें साजिश रच रही है। मांग किया कि जिम्मेदारों की गिरफ्तारी के साथ ही श्रीराम भक्तों की आस्था से खिलवाड़ कर आलीशान मकान आदि बनवाने वाले लोगों के घरों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलडोजर चलवाये।

पदयात्रा में मुख्य रूप से अनिल भारती, रामधीरज चौधरी, राकेश मणि त्रिपाठी, इश्तियार अहमद, शकुन्तला देवी, कुंवर जितेन्द्र सिंह, अमर बहादुर शुक्ल, आलोक त्रिपाठी, गुड्डू सोनकर, सुधीर यादव, लक्ष्मी यादव, सोमनाथ संत, अनिल त्रिपाठी, राम बचन भारती, अतीउल्ला सिद्दीकी, अनूप पाठक, यशराज के.के., सलाहुददीन, उमाशंकर त्रिपाठी, प्रशान्त पाठक, फजले आजम, सर्वेश शुक्ला, मो. अशरफ अली, आनन्द निषाद, राम पूरन चौधरी, वृजभान कन्नौजिया, संजीव त्रिपाठी, उमेश उपाध्याय, अफजल हुसैन, हरिनाथ द्विवेदी, राम प्रीत, संजय चौधरी, राम बाबू कल्लू, विश्वजीत शुभम, मनीष दूबे, अखिलेश कुमार, संजय कुमार मुकेश, राम सिंह, अमित चौरसिया, निशान्त श्रीवास्तव, अमित कुमार के साथ ही कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में समर्थक शामिल रहे। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने पार्टी के समर्थन में नारे लगाए और अपनी मांगों को लेकर प्रशासन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित किया।

-श्रीराम मंदिर ट्रस्ट को भंग कर मंदिर की व्यवस्था चारों पीठों के शंकराचार्यों को सौंपी जाय- विश्वनाथ चौधरी

"मुझे अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"—वेंडेल फिलिप्स

दैनिक
भारतीय बस्ती
बस्ती 8 जुलाई 2026 बुधवार

सम्पादकीय

त्याग पत्र से क्या हासिल

देश के करोड़ों श्रद्धालुओं के आस्था—विश्वास को आहत करने वाला चंदा—चोरी प्रकरण सामने आने के बाद श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की पहली बैठक में आखिरकार महामंत्री चंपत राय व सदस्य अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए गए। अब ट्रस्ट के अन्य सदस्य कृष्ण मोहन को अंतरिम महामंत्री बनाया गया है। राममंदिर के चंदे में हेरफेर से उठे देशव्यापी विवाद के बाद प्राथमिकी दर्ज होने, एसआईटी के गठन और कुछ गिरफ्तारियों के बाद ये इस्तीफे अपरिहार्य थे। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ दो इस्तीफों से श्रद्धालुओं के भरोसे की बहाली हो पाएगी? जैसा कि नवनियुक्त अंतरिम महामंत्री कृष्ण मोहन ने कहा कि मेरी प्राथमिकता है कि चंदा चोरी के मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा,उसे कड़ी सजा मिले। उन्होंने स्वीकारा कि ट्रस्ट प्रबंधन और संचालन में कहीं न कहीं खामियां रही हैं। उन्हें दूर करने का प्रयास होगा। साथ ही माना कि जो तथ्य सामने आए हैं उससे न्यास की छवि धूमिल हुई है। एक अविश्वास का भाव उत्पन्न हुआ। ट्रस्ट की प्रतिष्ठा को फिर स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि कृष्ण मोहन भारतीय वन सेवा में शामिल होने से पहले कुछ सालों तक परमाणु ऊर्जा विभाग में परमाणु वैज्ञानिक भी रहे हैं। वे दलित समुदाय से आते हैं। वे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के पदाधिकारी रहे हैं। इसी कड़ी में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरि महाराज ने सोमवार को अयोध्या में उन बहुमूल्य वस्तुओं को मीडिया के सामने प्रदर्शित किया, जिनके गायब होने को लेकर अटकलें लगायी जा रही थीं। बताया जा रहा है कि ट्रस्ट के संचालन के लिये विशिष्ट अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिये एक समिति का गठन किया गया है। इसी क्रम में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अगली बैठक बाईस जुलाई को होगी। जिसमें महत्वपूर्ण फैसले लिये जाने का अनुमान है। कहा जा रहा है कि तब तक चंदा चोरी मामले में एसआईटी की रिपोर्ट भी आ जाएगी।

लेकिन सवाल यह है कि आस्था व विश्वास से खिलवाड़ के कृत्य की जांच के लिये क्या एसआईटी की जांच पर्याप्त है? क्या चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे मात्र से उनकी लापरवाही और गैर जिम्मेदार व्यवहार पर कार्रवाई पूरी मान ली जाए? क्या इतनी कार्रवाई मात्र से सारे प्रकरण से संदेह के बादल छंट जाएंगे और लोगों का खंडित भरोसा फिर से कायम हो जाएगा? अब तो संघ प्रमुख ने भी स्वीकारा है कि इस घटनाक्रम से व्यापक हिंदू समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। ऐसे में अब ट्रस्ट को कठोर फैसले लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखानी चाहिए। निस्संदेह, समय रहते यदि ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने चंदा प्रकरण में संवेदनशीलता के साथ कड़ी निगाह रखी होती तो यह बड़ा विवाद न खड़ा होता। शुरुआती दौर में जब मामले की सुगबुगाहट सामने आई तो तभी ट्रस्ट के पदाधिकारियों को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। ऐसे में ट्रस्ट के पदाधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठने स्वाभाविक ही हैं। कुछ लोग तो ट्रस्ट को भंग करके नये सिरे से इसके गठन की बात कहते रहे हैं। बहरहाल, इतना तय है कि ट्रस्ट की कारगुजारियों में सबकुछ न तो पारदर्शी था और न ही सब कुछ नियम अनुसार ही चला। कहा जा रहा है कि कुछ पदाधिकारियों के पास जरूरत से ज्यादा अधिकार थे, जिसके चलते अन्य सदस्य उदासीन बने रहे। यही वजह है कि कुछ लोग एसआईटी से इतर एक उच्च स्तरीय जांच की मांग इस मामले में करते रहे हैं। निस्संदेह, बहुचर्चित चढ़ावा चोरी प्रकरण की गूंज पूरी दुनिया में हुई है, जिसने संघ,भाजपा, केंद्र सरकार व प्रदेश की सरकार को असहज स्थिति में ला खड़ा किया है। यही वजह है कि लोग इस मामले में किसी लीपा—पोती के बजाय भक्तों के दान की पारदर्शी व्यवस्था करने की मांग कर रहे हैं।जिससे गाहे—बगाहे देश के अन्य प्रमुख तीर्थस्थलों में भी उठने वाले चंदे में हेरा—फेरी के मामलों का हमेशा के लिये पटाक्षेप हो सके। साथ ही श्रद्धालुओं को यह भी पता लग सके कि दान की राशि का उपयोग कैसे किया जा रहा है।

क्या घटेंगे डीजल, पेट्रोल के दाम

पश्चिम एशिया में तनाव कम होने और होर्मुज जलमार्ग के बहाल होने से वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संकट का असर अब धीरे—धीरे कम होने लगा है। इससे भारत में भी स्थिति में सुधार और मुश्किलों से थोड़ी राहत की उम्मीद जगी है। सरकार ने एलएनजी (तरलीकृत प्राकृतिक गैस) की आपूर्ति पर लगाए गए अधिकांश आपातकालीन प्रतिबंध वापस ले लिए हैं।

इससे पहले वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बाद वाणिज्यिक गैस सिलेंडर और विमान ईंधन की कीमतों में कटौती की गई थी। इसी बीच, तेल उत्पादक देशों के संगठन 'ओपेक प्लस' के कुछ सदस्यों ने अगस्त में अपने तेल उत्पादन में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। इस कदम से वैश्विक बाजार में अतिरिक्त कच्चा तेल उपलब्ध होगा, जिससे निश्चित रूप से इसके दामों पर दबाव और कम होगा। मगर सवाल है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा की आपूर्ति सामान्य होने का लाभ क्या देश के उपभोक्ताओं को तर्कसंगत अनुपात में मिल पाएगा?

सरकार ने देश में ऊर्जा संकट गहराने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एलएनजी की आपूर्ति को लेकर बीते नौ मार्च को आपात व्यवस्था लागू की थी। उस समय अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान पर किए गए हमलों और उसके जवाब में ईरानी कार्रवाई के बाद होर्मुज जलमार्ग को बंद कर दिए जाने से तेल और गैस की आपूर्ति बाधित हो गई थी। सरकार का कहना है कि पश्चिम एशिया में युद्धविराम लागू है और शांति वार्ता जारी है, ऐसे में गैस आपूर्ति पर लगाए गए आपात प्रतिबंधों को जारी रखने की आवश्यकता नहीं है।

दरअसल, देश में ऊर्जा संकट की आहट के बाद से सरकार की ओर से यह दावा किया जाता रहा कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए वैकल्पिक उपाय लागू किए जाएंगे, लेकिन जब संकट से सामना करने की बारी आई तो ये विकल्प मुख्य तौर पर तेल एवं गैस की आपूर्ति को सीमित करने और इनकी कीमतें बढ़ाने के रूप में सामने आए। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि ऊर्जा आपूर्ति के नए स्रोत तलाशने के बजाय संकट का भार सीधे आम आदमी पर डाल देने को ही क्या सरकार का कुशल प्रबंधन माना जाएगा? एक तरफ भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य तय किए जा रहे हैं, दूसरी ओर देश की कुल कच्चे तेल की जरूरत का लगभग 88 फीसद और प्राकृतिक गैस की लगभग आधी आवश्यकता आज भी आयात के जरिए पूरी की जाती है। इसमें कुल कच्चे तेल आयात का 40–45 फीसद और एलएनजी आयात का करीब 65 फीसद पश्चिम एशिया से आता है। यही वजह है कि होर्मुज जलमार्ग में किसी भी तरह का व्यवधान देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन जाता है। यह बात सही है कि 'ओपेक प्लस' के सदस्य देशों की ओर से अगस्त में तेल उत्पादन में बढ़ोतरी करने से वैश्विक बाजार की स्थिति काफी हद तक पहले जैसी सामान्य हो जाएगी, लेकिन क्या इसी मुताबिक सरकार तेल की बढ़ी कीमतों में कमी करेगी?

बिखरते परिवारों से बढ़ता सामाजिक संकट

—क्षमा शर्मा—

हाल ही में कुछ युवाओं की दुखद मौतों के बाद स्त्री आजादी को लेकर नकारात्मक नैरेटिव सामने आये। वहीं, सोशल मीडिया पर कुछ लोग स्त्री—अधिकारों के नाम पर जश्न मनाते नजर आए। यह संवेदनहीनता की अति ही है लैंगिक, जाति या फिर विचारधारा के नाम पर किसी की मृत्यु पर खुशी जताना। पश्चिम के मापदंड अपनी जगह हैं, पर भारतीय सामाजिक ढांचे में इस प्रवृत्ति का औचित्य क्या है?

फरीदाबाद में राहुल नाम के लड़के ने आत्महत्या कर ली। इससे पहले उसने वीडियो बनाया और कहा कि वह घर के सारे काम करता है, व्यापार भी करता है, फिर भी उसकी पत्नी उसे मारती—पीटती है। दूसरा किस्सा पुणे के केतन का है, कहा गया कि उसकी मंगेतर सिया ने अपने मित्र चेतन की मदद से उसे लोहागढ़ पहाड़ी से धक्का दे दिया। सिया इस रिश्ते से खुश नहीं थी क्योंकि केतन के सिर पर बाल नहीं थे और वह हकलाता भी था। इन दोनों मामलों में युवाओं ने जान गंवाई। इनके घर वालों, परिजनों पर क्या गुजरी, इसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है। मगर अफसोस की बात ये है कि इन दोनों की मृत्यु को स्त्री अधिकारों के नाम पर सेलिब्रेट किया गया। कहा गया कि अब तक स्त्रियां सहती रही हैं, मगर अब वे बदला ले रही हैं।

मुस्कान सोनी नाम की दांतों की डॉक्टर ने तो बाकायदा केतन की मौत का मजाक उड़ाया कि उसके साथ तो ऐसा होना ही था और हा—हा—हा करते वीडियो पोस्ट किया। हालांकि बाद में इस डॉक्टर ने माफी भी मांगी। जब हम अधिकारों की बात करते हैं, तो उनका अर्थ हमारे दैनंदिन जीवन की सुविधाओं से जुड़ा होता है। छोटे, बड़े की भावना को खत्म करने की बात होती है। लेकिन मृत्यु पर हंसना, मीम्स बनाना, कहना कि वक्त आ गया है कि अब स्त्रियों को अपने प्रति किए गए हर अपराध का बदला लेना चाहिए, कितना दुखद है। अंग्रेजी की एक बड़ी लेखिका और एक बड़े लेखक ने तो यह तक कहा कि सिया ने केतन को मारा, इसके लिए सिर्फ वह ही नहीं, बल्कि हमारे परिवारों का ढांचा जिम्मेदार है। जहां लड़कियों को कुछ करने की आजादी नहीं। वे न अपनी मर्जी से शादी कर सकती हैं, न देर रात तक सकती हैं, न शराब पी सकती हैं। ऐसा कहने वाले वे लोग हैं, जो बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति वाले हैं। जिनके इर्द—गिर्द सेवकों और सिक्योरिटी गार्ड्स की पूरी फौज है, लेकिन ज्ञान वे उन आम लड़कियों को दे रहे हैं, जो अमूमन अपराध की जद में होती हैं। 'अपनी सुरक्षा अपने हाथ' वाली कहावत इन पर चरितार्थ होती है। फिर देर रात तक पार्टी करना या शराब पीना आम लड़कियों का जीवन नहीं है। और क्या स्त्रियों के लिए शराब पीना इतनी अच्छी बात है। फिर ऐसा क्यों है कि अक्सर महिलाएं अपने घर के आसपास शराब के ठेके खुलने का विरोध करती हैं। शराबबंदी की मांग करती हैं क्योंकि शराब के कारण ही उनके पति तरह—तरह की हिंसा करते हैं। यदि वे पैसे भी कमाएं, तो उनके पैसे शराब पीने के लिए छीन लिए जाते हैं। उन्हें घर से बाहर निकाल दिया जाता है।

गांधी जी जिन्होंने कहा था कि शराब आत्मा का नाश करती है, उनकी इस शिक्षा को भी लोग भूल गए हैं। डाक्टरों की सलाह भी याद नहीं रखते, जो कहते हैं कि शराब पीने से शरीर के तमाम अंगों पर प्रभाव पड़ता है। मानसिक स्वास्थ्य भी खराब होता है। यदि इन लोगों की मानें तो देश में चलने वाले जितने नशा मुक्ति केंद्र हैं, उन्हें बंद कर देना चाहिए।

लेकिन 'माई लाइफ और माई च्वाइस' का विचार एलीट स्त्री—पुरुषों के मन में इतना बसा हुआ है कि वे अपनी शर्तों को दूसरों पर लाद रहे हैं और इन्हें ही दूसरों की च्वाइस बता रहे हैं। वे सिया का बचाव करते हुए उसके घर वालों और हर एक के घर वालों को दोष दे रहे हैं। पश्चिम का उदाहरण बार—बार दिया जा रहा है कि वहां देखो स्त्रियों को कितनी आजादी है। क्या सचमुच!

अपने यहां माता—पिता बच्चों को हमेशा बच्चा मानते हुए, उनकी सुरक्षा की चिंता करते हैं। उनकी पढ़ाई—लिखाई का खर्चा उठाते हैं। पढ़ने के लिए विदेश भेजते है। करोड़ों रुपये का लोन लेते हैं, उसे खुद चुकाते हैं। बच्चों के लिए घर बनाते हैं। यानि कि अपनी उम्र और सारे संसाधन वे बच्चों के लिए लगा देते हैं, जिससे उनका जीवन आसान हो सके। माता—पिता के सारे संसाधन चाहिए, लेकिन जीवन अपनी शर्तों पर जीना है। कौन रोकता है, लेकिन फिर संसाधन भी खुद जुटाइए। माता—पिता की जमीन—जायदाद में भी हिस्सा मत मांगिए। बीमारी—हारी में भी अपनी मदद खुद कीजिए। ड्रीम वैडिंग करना हो, तो खुद पैसे जुटाइए। उनके सम्पर्कों का भी लाभ मत उठाइए।

अधिकार बिना कर्तव्यों के नहीं मिलते। सिर्फ कर्तव्य ही नहीं, अधिकारों की कीमत भी चुकानी पड़ती है। लेकिन आजादी के नाम पर कीमत कोई चुकाना नहीं चाहता। हां मन की बात न हो, तो हत्या की जा सकती है। अतिवादी लोग इसे जायज ठहराने के लिए झंडा बुलंद कर सकते हैं।

विदेश में लोन लेकर पढ़ने वाले बच्चों के माता—पिता इस कर्ज को नहीं चुकाते। विदेशों में कई ऐसे आदमियों से मिली, जिनकी उम्र पचास के पार है, लेकिन अभी तक वे अपनी पढ़ाई के लिए उठाए गए कर्ज को चुका रहे हैं। भारत में तो माता—पिता की हालत ये है कि ताउम्र खटते भी हैं और पिटते भी हैं। बातें बनाते रहिए कि बुजुर्गों के लिए क्या—क्या होना चाहिए।

विमर्शों की नकारात्मकता कितनी है कि जहां मौत का भी जश्न मनाया जाए। जाति, धर्म, लिंग देखकर शोक और खुशी प्रकट की जाए, इससे यही पता चलता है कि हमारा वैचारिक आधार कितना पोला है, जहां हम किसी मरने वाले की जाति या जेंडर देख रहे हैं। उसके राजनीतिक विचारों के आधार पर उसकी मौत की खुशी या दुःख मना रहे हैं। इसका पहली बार अहसास पत्रकार रोहित सरदाना की मौत पर हुआ। जब एक मशहूर इनफ्लुएंसर ने कहा कि यह अकेला क्यों मर गया, इसके बीवी —बच्चे क्यों नहीं मर गए। यह एक तरह से वही हिटलरी विचार है, जिसकी आलोचना करते—करते ऐसे लोग दुबले हुए जाते हैं। यदि बच्चों को अपनी पसंद से विवाह करने दिया जाए तो भी उनका जीवन सुचारु रूप से चलेगा, इसकी क्या गारंटी है। अपनी पसंद से शादी करने के बाद भी इन दिनों कितने मामले ऐसे आते हैं, जहां पत्नी ने पति को मार दिया, पति ने पत्नी को, गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड को और बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को।

चर्चित घटना में भरत तिवारी की मौत के मामले में तो बहुत से नेता भी कूद पड़े और कहने लगे कि उसके वर्ग ने जो किया है, वह तो उन्हें भुगतना ही पड़ेगा।

कोई सवर्ण, कोई दलित, कोई स्त्री, कोई पुरुष, किसी की भी मृत्यु हंसने और आनंद मनाने के लिए कैसे हो सकती है। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक से एक नफरती विचारों की होड़ लगी है। सोचते तो ये थे कि तकनीक बढ़ेगी, तो तमाम तरह के नफरत फैलाने वाले विचार अपने आप खत्म हो जाएंगे। लेकिन हुआ इसका उलटा है। नफरत और बदले की भावना की फसल लहलहा रही है। लोग भूल रहे हैं कि नफरत से नफरत उपजती है और बदले से बदला।

—लेखिका वरिष्ठ पत्रकार हैं।

मजबूत लोकतंत्र के लिये दागी नेताओं से मुक्ति जरूरी

—ललित गर्ग—

भारतीय लोकतंत्र ने स्वतंत्रता के बाद अनेक उपलब्धियां अर्जित की हैं। आज भारत विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति होने के साथ—साथ विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है। वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य के साथ देश आर्थिक, तकनीकी और वैश्विक नेतृत्व की नई ऊंचाइयों को छूने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। किंतु यह भी उतना ही बड़ा सत्य है कि किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति केवल उसकी अर्थव्यवस्था, सैन्य क्षमता अथवा तकनीकी विकास में नहीं, बल्कि उसकी राजनीति और शासन व्यवस्था की नैतिकता में निहित होती है। यदि लोकतंत्र की आत्मा को जीवित रखना है तो राजनीति को अपराध, भ्रष्टाचार और स्वार्थ की गिरफ्त से मुक्त करना ही होगा। आजादी के बाद से लगभग हर सरकार ने भ्रष्टाचार—मुक्त शासन, पारदर्शी प्रशासन और स्वच्छ राजनीति का वादा किया। अनेक आयोग बने, कानून बने और चुनाव सुधारों की चर्चाएं भी हुईं, लेकिन जब भी कोई ठोस एवं प्रभावी सुधार लागू करने का प्रयास हुआ, राजनीतिक दलों ने अपने—अपने हितों के अनुसार उसका समर्थन अथवा विरोध किया। परिणाम यह हुआ कि राजनीतिक शुचिता का प्रश्न आज भी अधूरा है। विडंबना यह है कि अब तक कोई ऐसा खाका सामने नहीं आ सका है, जिससे सिर्फ स्वच्छ छवि के लोगों को ही जनप्रतिनिधि बनने का अवसर मिले। यह और बड़ी विडम्बना है कि जिस विषय पर पूरे राष्ट्र की सहमति होनी चाहिए, वही विषय राजनीतिक टकराव का माध्यम बन जाता है।

आए दिन संसद और विधानसभाओं में आपराधिक पृष्ठभूमि से आने के बावजूद चुने गए जनप्रतिनिधियों की बढ़ती संख्या को लेकर चिंता तो जताई जाती है, मगर उसके हल को लेकर कोई ठोस पहल नहीं होती। संविधान के तहत केवल दोषी ठहराए गए जनप्रतिनिधियों को ही पद से हटाया जा सकता है और इस संबंध में संवैधानिक पद पर बैठे नेताओं को लेकर कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। इसी संदर्भ में भाजपा सरकार फिर से एक सौ तीसवें संविधान संशोधन विधेयक को संसद में पेश करने की तैयारी में है, जिसके तहत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या अन्य मंत्रियों को पाँच साल से ज्यादा सजा के प्रावधान वाले गंभीर अपराधों के लिए गिरफ्तार किए जाने और लगातार तीस दिनों तक हिरासत में रखे जाने पर पद से हटाने का प्रस्ताव है। अगर विधेयक की जांच के बाद संयुक्त संसदीय समिति इसे अपनी मंजूरी दे देती है, तो संसद के मानसून सत्र में इस पर बहस की संभावना है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष अगस्त में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में यह विधेयक पेश किया था। हालांकि विपक्षी दलों की ओर से उठाई गई कई आपत्तियों के बाद इसकी जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया था, लेकिन कांग्रेस सहित ज्यादातर विपक्षी दलों ने अपनी चिंताओं को नजरअंदाज किए जाने की आशंका के मद्देनजर समिति का बहिष्कार कर दिया था।

निश्चित ही संसद और विधानसभाओं में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले जनप्रतिनिधियों की बढ़ती संख्या लोकतंत्र के लिए गंभीर चुनौती बन चुकी है। यदि कोई जनप्रतिनिधि हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार, आतंकवाद अथवा संगठित अपराध जैसे गंभीर मामलों में लंबे समय तक न्यायिक हिरासत में है, तो क्या वह जनता का प्रतिनिधित्व करने का नैतिक अधिकार बनाए रखता है? यह प्रश्न केवल कानूनी नहीं, बल्कि लोकतंत्र की नैतिकता से जुड़ा हुआ प्रश्न है। हालांकि इस प्रकार के कानून पर कई संवैधानिक प्रश्न भी उठते हैं। भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को तब तक निर्दोष मानता है जब तक अपराध सिद्ध न हो जाए। केवल आरोप के आधार पर किसी निर्वाचित प्रतिनिधि को पद से हटाना राजनीतिक प्रतिशोध का हथियार भी बन सकता है। विपक्षी दलों की यह आशंका पूरी तरह निराधार नहीं कही जा सकती कि यदि पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं होंगे तो सत्ता में बैठी सरकारें विरोधियों के विरुद्ध जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर सकती हैं। इसलिए किसी भी नए कानून में प्राकृतिक न्याय, न्यायिक समीक्षा और निष्पक्ष जांच की सुदृढ़ व्यवस्था अनिवार्य होनी चाहिए। लेकिन इन आशंकाओं के कारण सुधार की पूरी प्रक्रिया को रोक देना भी उचित नहीं होगा। लोकतंत्र में सुधार का अर्थ किसी दल को लाभ या हानि पहुंचाना नहीं, बल्कि जनता के विश्वास को मजबूत करना है। यदि कानून संतुलित, पारदर्शी और न्यायसंगत हो तो वह लोकतंत्र को कमजोर नहीं बल्कि अधिक विश्वसनीय बनाता है।

भारत की राजनीति में अनेक ऐसे उदाहरण सामने आए हैं, जिन्होंने लोकतांत्रिक मर्यादाओं पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाए। बिहार में लालू प्रसाद यादव से लेकर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल तथा उनके कुछ मंत्रियों तक, विभिन्न राजनीतिक दलों के अनेक नेता ऐसे रहे हैं जो गंभीर आरोपों अथवा जेल में रहने के बावजूद सत्ता पर बने रहने का प्रयास करते रहे। यह किसी एक दल का प्रश्न नहीं है, लगभग सभी बड़े राजनीतिक दल समय—समय पर इस आलोचना के घेरे में रहे हैं। जेल से सरकार चलाने अथवा संवैधानिक पद पर बने रहने की मानसिकता लोकतंत्र की गरिमा के अनुकूल नहीं कही जा सकती। यह सही है कि कानून अपना कार्य करेगा और न्यायालय अंतिम निर्णय देगा, किंतु सार्वजनिक जीवन केवल कानूनी वैधता से नहीं चलता, उसका आधार नैतिक वैधता भी होती है। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि केवल अधिकारों का नहीं, बल्कि आदर्शों का भी प्रतीक होता है। यदि उसके ऊपर गंभीर आरोप हों और वह फिर भी पद से चिपका रहे, तो जनता का लोकतांत्रिक विश्वास कमजोर पड़ता है। राजनीति में पद त्यागना पराजय नहीं, बल्कि नैतिक साहस का परिचायक होता है।

आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा है, उसमें आर्थिक प्रगति के साथ सुशासन, डिजिटल पारदर्शिता, भ्रष्टाचार—मुक्त प्रशासन और जनभागीदारी पर विशेष बल दिया गया है। विकसित भारत केवल ऊंची इमारतों, एक्सप्रेस—वे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और तेज आर्थिक विकास से नहीं बनेगा, वह तभी बनेगा जब शासन चलाने वाले व्यक्तियों की विश्वसनीयता भी उतनी ही मजबूत होगी। विश्वगुरु बनने की आकांक्षा रखने वाले राष्ट्र की राजनीति भी विश्व के लिए आदर्श बननी चाहिए। आज आवश्यकता केवल कानून बदलने की नहीं, बल्कि राजनीतिक संस्कृति बदलने की भी है। राजनीतिक दलों को चुनावी टिकट देते समय उम्मीदवार के चरित्र, सार्वजनिक जीवन, सामाजिक सेवा और नैतिक छवि को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय कई बार राजनीतिक दलों से आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को टिकट देने का कारण सार्वजनिक करने को कह चुका है, किंतु व्यवहार में इसमें अपेक्षित परिवर्तन दिखाई नहीं देता। यदि राजनीतिक दल स्वयं आत्मानुशासन नहीं अपनाएंगे, तो केवल कानून से समस्या का समाधान संभव नहीं होगा।

राम के नाम पर छिड़ी सियासी जंग

—अजय कुमार—

लखनऊ की सियासत में इन दिनों जो हलचल दिख रही है, वह पिछले कई बरसों से चली आ रही तस्वीर से बिल्कुल अलग है। अब तक समाजवादी पार्टी को पिछड़ा—दलित—अल्पसंख्यक यानी पीडीए के सहारे मैदान में उतरने वाली पार्टी के रूप में देखा जाता रहा है, लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव का रुख जिस तरह बदला है, उसने पुराने राजनीतिक समीकरणों को भी हिला दिया है। पार्टी दफ्तर में भजन—कीर्तन, सुंदरकांड का पाठ और अयोध्या—चित्रकूट से बुलाए गए साधु—संतों का आशीर्वाद लेने जैसी तस्वीरें अब सामान्य होती जा रही हैं। यही वजह है कि राजनीतिक विश्लेषक इसे अखिलेश यादव की सोची—समझी श्सॉफ्ट हिंदुत्वश रणनीति बता रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि यह बदलाव अचानक नहीं आया। बीते कुछ महीनों में अखिलेश यादव मंदिरों में दर्शन करते, ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं का जिक्र करते और भंडारों में शामिल होते देखे गए हैं। इटावा में केदारेश्वर मंदिर बनवाने की पहल हो या रामचरितमानस बांटने जैसे कदम, सपा मुखिया लगातार यह संदेश देने की कोशिश में हैं कि भगवान राम किसी एक पार्टी की बपौती नहीं, बल्कि पूरे समाज की आस्था हैं। साथ ही वे यह भी जोड़ते हैं कि आस्था के नाम पर राजनीति करना गलत है, जिसका सीधा निशाना सत्तारूढ़ भाजपा पर है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को एक खास समुदाय की पार्टी बताकर मिली सियासी बढ़त से सपा ने साफ सबक लिया है, और यही वजह है कि अखिलेश अब मुस्लिम मुद्दों पर पहले जैसी मुखरता से बचते नजर आते हैं। राजनीतिक हलकों में इसी बदलाव को श्डायमंड कट्स डायमंडश यानी लोहे को लोहे से काटने वाला फॉर्मूला कहा जा रहा है। मतलब साफ है, योगी आदित्यनाथ के तीखे हिंदुत्व और धार्मिक राष्ट्रवाद का जवाब अब सपा पुरानी धर्मनिरपेक्षता की भाषा से नहीं बल्कि खुद धर्म की जमीन पर उतरकर देना चाहती है। इसके पीछे तर्क यह है कि यूपी जैसे बड़े राज्य में सत्ता की चाबी बहुसंख्यक सनातनी मतदाता को नाराज करके हासिल नहीं की जा सकती। सपा की रणनीति में अयोध्या और आसपास के इलाकों के स्थानीय संत—महंत, कबीरपंथी और रैदासी परंपरा के अनुयायी, गाजीपुर—पूर्वांचल के सिद्धपीठों से जुड़े लोग अहम भूमिका निभा सकते हैं। साथ ही ज्योतिष्पीठ और गोरखनाथ पीठ की तरफ से मंदिर निर्माण प्रक्रिया पर पहले उठाए गए सवालों को भी सपा वक्त—वक्त पर हवा देती रही है, ताकि सवर्ण और प्रबुद्ध तबके का एक हिस्सा भाजपा से छिटक सके। इस पूरी रणनीति को असली धार अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर सामने आए विवाद ने दी है। मंदिर के दान—चढ़ावे में गड़बड़ी और चोरी के आरोपों की जांच एसआईटी कर रही है, और विपक्ष इसे आस्था के नाम पर हुई वित्तीय अनियमितता बताकर सरकार को घेर रहा है। स्थानीय दुकानदारों के विस्थापन का मुद्दा भी इससे जुड़ गया है। सपा के लिए अयोध्या अब बचाव की नहीं बल्कि हमले की जमीन बन चुकी है, वहीं भाजपा इसके जवाब में अयोध्या के वैश्विक स्तर के विकास और सुंदरीकरण को अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने तेवर नरम नहीं होने दिए हैं। हाल ही में प्रतापगढ़ पहुंचे सीएम योगी ने करीब 384 करोड़ रुपये की 111 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, साथ ही बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 593 अंकों के साथ टॉप करने वाली स्थानीय छात्रा श्रद्धा पांडे को मंच पर सम्मानित कर आईपैड भेंट किया। जनसभा में उन्होंने वक्फ बोर्ड की जमीनों को लेकर विपक्ष पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि गरीबों के हक की हजारों हेक्टेयर जमीन वक्फ के नाम पर बेची गई, लेकिन कांग्रेस और सपा ने कभी इस पर सवाल नहीं उठाया।

बृजभूषण सिंह बोले– हम सिर्फ भड़ास निकाल सकते हैं

संवाददाता–गोण्डा। कैसरगंज के पूर्व सांसद और भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह ने अपनी ही सरकार के दो विभागों पर सवाल उठाए हैं। गोंडा में मंगलवार दोपहर 12 बजे मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा– जल जीवन मिशन और बिजली विभाग की लापरवाही से जो मौतें हो रही हैं, उनका जिम्मेदार कौन हैं।

हम सिर्फ आवाज उठा सकते हैं। बोलकर अपनी भड़ास निकाल सकते हैं। अगर सही से जांच कराई जाए तो पूरे प्रदेश में जल जीवन मिशन के कारण 2 से 4 हजार हादसे सामने आएंगे। बिजली विभाग की भी लापरवाही से पता नहीं कितने लोग हर रोज मरते हैं, कितने जानवर मरते हैं, कितनी घटनाएं होती हैं।

पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह रोजाना जिम जाने के बाद जनता दरबार में लोगों की शिकायत सुनते हैं। बृजभूषण शरण सिंह ने गोंडा में अपने आवास पर प्रेस कांफ्रेंस की। उन्होंने कहा, हमारे क्षेत्र में तीन दलित परिवारों के कमाने वाले सदस्य जिनकी उम्र 22 से 42 साल थी, एक हादसे में मारे गए। जल जीवन मिशन के तहत वहां पाइप डालने के लिए सड़क खोदी गई थी, लेकिन काम के बाद सड़क की ठीक से फिलिंग, कुटाई नहीं की गई। जिससे, सरिया से लदा एक ट्रक वहां धंस कर पलट गया।

उसकी चपेट में आने से इन मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। कल मैं उनके परिवार वालों से मिलने गया था। थोड़ी–बहुत हमने मदद भी की, लेकिन बड़ी दुखद घटना है।

उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के ठेके बहुत बड़ी कंपनियों

को मिलते हैं। ये कंपनियां आगे से आगे ठेके पर ठेका देती चली जाती हैं। इससे काम में जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। नियम के मुताबिक, सड़क तोड़ने से पहले इन कंपनियों को पीडब्लूडी नगरपालिका या ग्राम प्रधान से एनओसी लेनी चाहिए, लेकिन ये कोई एनओसी नहीं लेते। रसूख के दम पर इनका भुगतान भी हो जाता है।

पूरे प्रदेश के गांवों में सड़कें तोड़कर गड्ढे छोड़ दिए गए हैं। यहां लोग मर रहे हैं। गांव–गांव सड़कें टूटी पड़ी हैं। पहले जब हम लोग मीटिंग में जाते थे तो सबसे ज्यादा यही प्रकरण उठता था, लेकिन मामला है थम जाता है, उसके ऊपर नहीं जाता है।

हमने देखा तो हमने बोला और अब हम क्या कर सकते हैं। जिन–जिनको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए, वो लेने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए अब हम बोलकर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। और क्या कर सकते हैं, लेकिन अब तक हजारों लोग मर चुके होंगे।

इसके साथ ही पूर्व सांसद ने गोंडा में बिजली विभाग की लापरवाही से हुई एक अन्य दुखद घटना का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि बीती 30 जून को विमल नाम का एक युवक अपनी बहन प्राची को परीक्षा दिलाने एलबीएस चौराहे पर लाया था। परीक्षा के बाद दोनों खड़े थे कि अचानक हाईटेंशन तार टूटकर गिर गया। बहन को बचाने की कोशिश में करंट की चपेट में आने से विमल की मौत हो गई।

पूरे प्रदेश में बिजली विभाग की लापरवाही से हो रही मौतें

बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि यह कोई इकलौती घटना नहीं है। पूरे प्रदेश में बिजली विभाग की लापरवाही से रोज न जाने कितने ईसान और जानवर मर रहे हैं। जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है, तब विभाग जागता है। उससे पहले ढीले और जर्जर तारों की सुध लेने वाला कोई नहीं है।

जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि यह गलती ठेका कंपनियों की है या विभाग के मंत्रियों की? तो पूर्व सांसद ने तंज कसते हुए कहा कि अब सारी गलती हमारी ही है। हम जनप्रतिनिधि हैं। जनता के प्रतिनिधि के तौर पर सिर्फ आवाज उठा सकते हैं और उठा रहे हैं। बाकी गलती सब हमारी है।

सदर के पूर्व विधायक रुद्र प्रताप सिंह का निधन

संवाददाता–देवरिया। जिले के भाटपार रानी क्षेत्र के पकड़ी बाबू गांव निवासी तथा देवरिया सदर के पूर्व विधायक रुद्र प्रताप सिंह का मंगलवार को गोरखपुर में निधन हो गया। वह 98 वर्ष के थे और लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। उनके निधन की सूचना मिलते ही जिले के राजनीतिक, शैक्षिक एवं सामाजिक क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। रुद्र प्रताप सिंह वर्ष 1980 से 1985 तक लोकदल के टिकट पर देवरिया सदर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किए थे। विधायक बनने से पहले उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। वह रामपुर अवस्थी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य रहे तथा मदन मोहन मालवीय इंकार भाटपाररानी में शिक्षक के रूप में भी अपनी सेवाएं दीं।

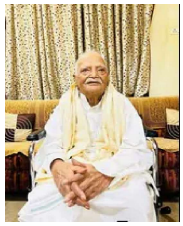

वह पकड़ी बाबू स्थित डॉ राम मनोहर लोहिया शिक्षण संस्थान के संस्थापक थे। इसके अलावा विभिन्न शैक्षिक एवं सामाजिक संस्थाओं के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में भी उन्होंने लंबे समय तक सक्रिय भूमिका निभाई। वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मनमोहन सिंह के चचेरे भाई थे। परिवार में उनके दो पुत्र हैं। बड़े पुत्र शक्ति प्रताप सिंह डॉ राम मनोहर लोहिया इंटरमीडिएट कॉलेज, पकड़ी बाबू के प्रधानाचार्य हैं, जबकि छोटे पुत्र भानु प्रताप सिंह संस्थान के प्रबंधक है। उनके भाइयों में रविंद्र प्रताप सिंह पकड़ी बाबू इंटर कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य रहे हैं तथा विवेकानंद शाही इंजीनियर पद से सेवानिवृत्त हैं। पूर्व विधायक रुद्र प्रताप सिंह के निधन पर जिले के जनप्रतिनिधियों, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, शिक्षाविदों एवं सामाजिक संगठनों ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके निधन को जिले के राजनीतिक और शैक्षिक जगत के लिए अपूरणीय क्षति बताया गया।

होटल पर पुलिस का छापाः मोबाइल जब्त होने पर महिलाओं ने किया हंगामा

संवाददाता–कुशीनगर। हाटा कोतवाली क्षेत्र के दावत होटल में मंगलवार दोपहर पुलिस ने छापा मारा। पुलिसकर्मियों ने होटल के कमरों की तलाशी ली, जिससे वहां अफरा–तफरी मच गई। कार्रवाई के बाद कुछ महिलाओं ने आरोप लगाया कि पुलिस उनके मोबाइल फोन जब्त कर ले गई। नगर पंचायत सुकरौली के जुलहिनिया कट से लगभग 200 मीटर पश्चिम स्थित दावत होटल में मंगलवार दोपहर करीब तीन बजे पुलिस दल पहुंचा। पुलिस ने होटल के कई कमरों की तलाशी ली। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि इस दौरान होटल में अफरा–तफरी का माहौल था। कुछ लोगों ने दावा किया कि एक युवती छत से कूदकर भाग गई, जबकि कुछ अन्य लोग पीछे की झाड़ियों के रास्ते निकल गए।

होटल में मौजूद दो युवतियों और एक महिला ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वे सिर्फ खाना खाने आई थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनकी बात सुने बिना उनके मोबाइल फोन जब्त कर लिए। महिलाओं ने यह भी बताया कि उन्होंने अपने आधार कार्ड दिखाए, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि उनके मोबाइल फोन में ऑनलाइन भुगतान और अन्य आवश्यक जानकारी है, जिसके बिना उन्हें घर लौटने और अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में कठिनाई हो रही है। इन महिलाओं ने अपना पता गोरखपुर बताया।

स्थानीय स्तर पर यह होटल लंबे समय से अनैतिक गतिविधियों को लेकर चर्चा में रहा है। हालांकि, पुलिस ने मौके पर इन आरोपों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की। मौके पर मौजूद स्थानीय पुलिसकर्मियों ने फिर दोहराया कि यह कार्रवाई गोरखपुर से आई एक टीम द्वारा की गई थी। उन्होंने बताया कि पुलिस दल एक युवती की तलाश और बरामदगी के सिलसिले में होटल पहुंचा था।

इस पूरे मामले पर हाटा कोतवाल दीपक सिंह ने बताया कि यह कार्रवाई गोरखपुर पुलिस टीम द्वारा एक लड़की की बरामदगी के संबंध में की गई थी। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है।

बेलवानिया टोला अग्निकांडः पीड़ितों को मिली राहत सामग्री

संवाददाता–कुशीनगर। पडरौना नगर पालिका परिषद क्षेत्र के बेलवानिया टोला में आज मंगलवार सुबह हुए अग्निकांड के पीड़ितों तक राहत सामग्री पहुंचाई गई। पडरौना नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष प्रतिनिधि मनीष बुलबुल जायसवाल ने घटनास्थल का दौरा किया और प्रभावित चारों परिवारों से मुलाकात की। बुलबुल जायसवाल ने अग्निकांड से प्रभावित गोरख प्रसाद, ओमप्रकाश प्रसाद, अवधेश प्रसाद और गोलू प्रसाद के परिवारों को सहायता सामग्री वितरित की। उन्होंने पीड़ित परिवारों को हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से बातचीत कर पीड़ित परिवारों को जल्द राशन सामग्री और आवास योजना का लाभ दिलाने की मांग की। साथ ही, शासन की ओर से मिलने वाली सभी आवश्यक सुविधाएं प्रभावित परिवारों तक पहुंचाने के लिए कार्रवाई का अनुरोध किया।

बुलबुल जायसवाल ने कहा कि आपदा की स्थिति में जरूरतमंद परिवारों की सहायता के लिए वे हमेशा तत्पर रहेंगे। इस दौरान सभासद प्रतिनिधि सोनू कुशवाहा, सर्वेश जायसवाल, अंकित टीब्डेवाल, आकाश वर्मा, अनूप गौड़, मंथन सिंह, काशी राजभर सहित कई स्थानीय लोग मौजूद रहे।

मातृ आंचल संस्थान ने लावारिस मृतकों के सम्मानजनक अंतिम संस्कार के लिए प्रशासन से मांगा सहयोग

संवाददाता–महराजगंज। मातृ आंचल सेवा संस्थान (मातृ आंचल न्यास) ने लावारिस, बेसहारा और जरूरतमंद मृतकों के सम्मानजनक अंतिम संस्कार के लिए प्रशासनिक सहयोग की मांग की है। संस्थान ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर इस अभियान के प्रभावी संचालन के लिए विभिन्न विभागों के समन्वय पर जोर दिया है। संस्थान ने मुख्य विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, नगर निकायों के अधिशासी अधिकारी और सभी खंड विकास अधिकारियों के माध्यम से समन्वय बैठकें आयोजित करने का अनुरोध किया है। इन बैठकों में ग्राम प्रधानों, जनप्रतिनिधियों और संबंधित अधिकारियों को अभियान की विस्तृत जानकारी दी जाएगी।

इसके अतिरिक्त, संस्थान ने आवश्यकता पड़ने पर शव वाहन, अंतिम संस्कार स्थल, स्वच्छता, पेयजल, विद्युत और अन्य आवश्यक संसाधन नियमानुसार उपलब्ध कराने की मांग की है। पत्र में जनपद स्तर पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने की भी अपील की गई है, ताकि पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और अन्य संबंधित विभागों के बीच त्वरित समन्वय स्थापित हो सके।

मातृ आंचल सेवा संस्थान का उद्देश्य है कि कोई भी लावारिस या बेसहारा मृतक सम्मानजनक अंतिम संस्कार से वंचित न रहे। संस्थान ने प्रशासन से मानवता की इस सेवा को सफल बनाने के लिए आवश्यक प्रशासनिक सहयोग और विभागीय निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है।

घर में फंदे से लटका मिला युवक का सड़ा शव

संवाददाता–बहराइच। रामगांव थाना क्षेत्र के रेहुआ मंसूर ग्राम में मंगलवार सुबह एक युवक का सड़ा हुआ शव उसके घर में फंदे से लटका मिला। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

ग्राम निवासी 40 वर्षीय अमित अपने पिता से अलग गांव के बाहर एक मकान में रहता था। सोमवार को उसके घर से तेज बदबू आने पर पड़ोसियों ने परिजनों और स्थानीय पुलिस को सूचना दी। परिजन और पुलिस मौके पर पहुंचे तो घर का दरवाजा अंदर से बंद था। कुंडी तोड़ने के बाद अंदर जाने पर अमित का शव टीन के सहारे फंदे से लटका मिला। शव पूरी तरह से सड़ चुका था, जिससे बदबू आ रही थी। मृतक अमित की पत्नी अपनी तीन बेटियों के साथ एक सप्ताह पहले मायके गई हुई थी। इस दौरान अमित घर पर अकेला रह रहा था।

रामगांव पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना प्रभारी गुरुसेन सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मौत के सही कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा।

डीएम ने 3 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया: बीडीओ– डीपीआरओ से मांगा जवाब

संवाददाता–देवरिया। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने जन शिकायतों के ऑनलाइन निस्तारण में लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया है। मंगलवार को दिन में 5.30 बजे आईजीआरएस (एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली) के तहत शिकायतों के गलत निस्तारण के मामले में तीन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जिलाधिकारी ने चेतावनी दी है कि संतोषजनक जवाब न मिलने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी हुल्गी इन दिनों आईजीआरएस पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की नियमित समीक्षा कर रहे हैं। वह स्वयं शिकायतकर्ताओं से फीडबैक लेकर यह सुनिश्चित करते हैं कि शिकायतों का वास्तविक और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हुआ है या नहीं। जिन मामलों में शिकायतकर्ता असंतुष्ट पाए गए या निस्तारण तथ्यपरक नहीं मिला, उनमें संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है।

समीक्षा के दौरान खंड विकास अधिकारी भागलपुर, अधिशासी अभियंता प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग और जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यों में गंभीर खामियां पाई गईं। इसके बाद इन तीनों अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। खंड विकास अधिकारी भागलपुर को ग्राम देवड़ा निवासी राम मनोहर सिंह की नाली निर्माण में अनियमितता और गुणवत्ता संबंधी शिकायत का उचित निस्तारण न करने पर नोटिस मिला है। अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग से ग्राम छपिया जयदेव निवासी अवनीश कुमार सिंह मिश्रा की शिकायत पर जवाब मांगा गया है। यह शिकायत शहीद विजय मौर्य मार्ग के अधूरे निर्माण कार्य के त्रुटिपूर्ण निस्तारण से संबंधित थी।

जिला पंचायत राज अधिकारी को तीन अलग–अलग शिकायतों में गलत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया गया। इनमें ग्राम परसिया अहीर टोला निवासी दीपक सैनी की शवदाह गृह निर्माण, ग्राम सकुतई (पथरदेवा) निवासी संतोष कुशवाहा के जन्म प्रमाण पत्र और ग्राम करौता निवासी प्रतिमा देवी के परिवार रजिस्टर में बच्चों का नाम दर्ज कराने संबंधी शिकायतें शामिल हैं। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने जोर देकर कहा कि आईजीआरएस पर प्राप्त प्रत्येक शिकायत का वास्तविक, तथ्यपरक और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही या औपचारिकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

डिवाइडर से टकराई बाइक, ट्रेलर की चपेट में आने से अधेड़ की मौत

संवाददाता–देवरिया। जिले के सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार अधेड़ की ट्रेलर की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब वह पशु के लिए दवा लेने जा रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कोतवाली क्षेत्र के चांदपलिया गांव निवासी बृजेश मिश्र (55) पुत्र स्व. गिरीश चंद्र मिश्र मंगलवार सुबह अपनी बाइक से महदहां स्थित बाजार में पशु के लिए दवा लेने जा रहे थे। रामपुर मोड़ के समीप आलोक होटल के पास उनकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर बने डिवाइडर से टकरा गई।

टक्कर के बाद वह सड़क पर गिर पड़े और उसी दौरान बगल से गुजर रहे तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आ गए। हादसे में उनके सिर पर गंभीर चोट आई, जबकि एक पैर ट्रेलर के नीचे आने से बुरी तरह कुचल गया। आसपास टहल रहे लोगों ने तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हादसे की जांच शुरू कर दी है।

बृजेश मिश्र अपने माता–पिता की इकलौता संतान थे। परिवार में एक पुत्र और चार बेटियां हैं। तीन बेटियों का विवाह हो चुका है, जबकि एक बेटी अविवाहित है। उनका पुत्र आदित्य उर्फ चंकी मिश्रा प्रयागराज स्थित विश्वविद्यालय में क्लर्क के पद पर कार्यरत है। हादसे की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया।

दो केसीसी बकायदारों की संपत्ति कुर्क

संवाददाता–गोण्डा। प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक के दो बड़े केसीसी बकायदारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। मंगलवार शाम 4 बजे बैंक अधिकारियों, मनकापुर तहसील प्रशासन और छपिया पुलिस की मौजूदगी में कुल 28.60 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क की गई। यह कार्रवाई केसीसी बकायदारों के खिलाफ चलाए जा रहे वसूली अभियान के तहत हुई।

प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक की बभनान शाखा के बकायदार जगदीश प्रसाद पर 14 लाख 80 हजार 995 रुपये का बकाया था। वहीं, दूसरे बकायदार देवमणि पर इसी शाखा का 13 लाख 80 हजार रुपये बकाया था। बैंक और मनकापुर तहसील द्वारा लगातार नोटिस दिए जाने के बावजूद इन दोनों ने ऋण का भुगतान नहीं किया था। कुर्की की यह कार्रवाई मंगलवार शाम करीब 4 बजे प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक की बभनान शाखा के प्रबंधक विकास कुमार, शाखा केशव नगर के शाखा प्रबंधक, थाना छपिया के शाखा प्रबंधक और विधि अधिकारी राहुल कुमार पांडे की उपस्थिति में की गई। रिकवरी हेड भानु प्रताप के प्रयासों से यह बड़े पैमाने पर संपत्तियों की कुर्की संभव हुई। जिन संपत्तियों को कुर्क किया गया है, उन्हीं के नाम पर इन बकायदारों ने ऋण लिया था और वे प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक बभनान शाखा के पास बंधक थीं।

प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, बभनान शाखा के प्रबंधक विकास कुमार ने बताया कि बकायदारों को लगातार केसीसी ऋण जमा करने के लिए नोटिस दिए जा रहे थे, लेकिन वे भुगतान करने को तैयार नहीं थे। कानूनी प्रक्रिया के तहत आज इन दोनों बकायदारों की संपत्तियों को कुर्क किया गया है।

जितने हमारे यहां बकायदार हैं सभी लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि वह जल्द से जल्द अपना बकाया केसीसी जमा कर दें अन्यथा उनकी भी बंधक संपत्ति को कुर्क किया जाएगा।

अखिलेश यादव के जन्मदिन पर सपा का पीडीए भंडारा

संवाददाता–बहराइच। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के जन्मदिन के अवसर पर पी.डी.ए. भंडारे का आयोजन किया गया। यह आयोजन एक सप्ताह तक चलने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला का हिस्सा था। समाजवादी पार्टी के फ्रंटल संगठन लोहिया वाहिनी ने इस भंडारे का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया।

यह कार्यक्रम समाजवादी लोहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष नंदेश्वर यादव के नेतृत्व में नगर के पशुशाम चौक पर मंगलवार दोपहर से शुरू हुआ। इस दौरान आम जनता और सपा कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। जिलाध्यक्ष नंदेश्वर यादव ने जानकारी दी कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जिले में पिछले सात दिनों से वृक्षारोपण सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पी.डी.ए. भंडारे का आयोजन किया गया है।

उन्होंने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर लोहिया वाहिनी के पदाधिकारी और पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।

सदर ब्लॉक में नए एडीओ पंचायत का सम्मान

संवाददाता–महराजगंज। सदर ब्लॉक में नवागत एडीओ पंचायत नजीर अहमद का पंचायत सहायक संघ ने स्वागत और सम्मान किया। उनके आगमन पर पंचायत सहायकों ने पुष्पगुच्छ और माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन किया तथा सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दीं।

इस अवसर पर एडीओ पंचायत नजीर अहमद ने सभी पंचायत सहायकों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं को पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से आम जनता तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने पंचायत सहायकों से आपसी समन्वय के साथ कार्य करने और ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान भी किया।

कार्यक्रम में पंचायत सहायक संघ के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर अविनाश चतुर्वेदी, संतोष पटेल, ब्लॉक अध्यक्ष अखिलेश्वर मल्ल, ऋषिकेश, सूरज पटेल, सुनील भारती, सुनील यादव, पवन वर्मा, अजीत कुमार सहित बड़ी संख्या में पंचायत सहायक उपस्थित थे। सभी ने नवागत अधिकारी का स्वागत करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि उनके नेतृत्व में सदर ब्लॉक में पंचायत व्यवस्था और विकास कार्यों को नई गति मिलेगी।

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय– श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला–बस्ती
मूलवाद सं0–1071/2023
विजय कुमार
बनाम
विकाश पाठक आदि
1. विकाश पाठक उम्र करीब 60 साल 2. विशाल पाठक उम्र करीब 55 साल पुत्रगण हौसिला प्रसाद साकिनान मौजा पटकापुर तप्पा बेलवा परगना अमोढ़ा तहसील हर्रैया जिला बस्ती
–प्रतिवादी प्रथम वर्ग
3. संजय कुमार उम्र करीब 45 साल 4. संदीप कुमार उर्फ आशुतोष उम्र करीब 40 साल पुत्रगण ओम प्रकाश 5. श्रीमती सुमित्रा उम्र करीब 70 साल पत्नी ओम प्रकाश साकिनान मौजा पूरेभीखी रानीपाली पोस्ट सहनवा तहसील व जिला फैजाबाद
–प्रतिवादीगण द्वितीय वर्ग
6. काशी प्रसाद उम्र करीब 60 साल पुत्र बैजनाथ साकिन पटखापुर तप्पा बेलवा परगना अमोढ़ा तहसील हर्रैया जिला बस्ती
–प्रतिवादीगण तृतीय वर्ग
7. योगेश कुमार उम्र करीब 65 वर्ष 8. जैस कुमार उम्र करीब 50 वर्ष पुत्रगण अरविन्द कुमार साकिनान मौजा फूलडीह तप्पा बेलवा परगना अमोढ़ा तहसील हर्रैया जिला बस्ती
–प्रतिवादीगण चतुर्थ वर्ग
तारीख पेशी 03–09–2026
हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 03 माह 09 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सरुश हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबावदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कतई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।
आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बराज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।
बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।
–द0 हाकिम

चढ़ावा चोरी मामले में चंपत ने तोड़ी चुप्पी, कहा–एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट के बाद दूंगा हर आरोप का जवाब

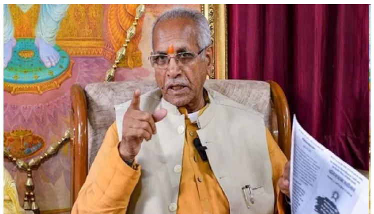

संवाददाता–अयोध्या। राम मंदिर के दानपात्र से चढ़ावा चोरी के मामले में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है। ट्रस्ट की बैठक में उनका इस्तीफा स्वीकार किए जाने के एक दिन बाद मंगलवार को उन्होंने रामभक्तों के नाम एक पत्र जारी कर अपनी बात रखी।

अपने पत्र में चंपत राय ने कहा कि राम मंदिर परिसर के दानपात्र की गणना के दौरान हुई चोरी की घटना के बाद तरह–तरह की चर्चाएं चल रही हैं और उन पर व्यक्तिगत रूप से अनेक निराधार आरोप लगाए गए हैं। इसी कारण उन्होंने अब तक मौन धारण किया था। उन्होंने कहा कि 6 जुलाई को हुई ट्रस्ट की बैठक में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जो अब सार्वजनिक हो चुकी है। हालांकि यह रिपोर्ट ष्परम गोपनीयष थी। उन्होंने रामभक्तों को आश्वस्त करते हुए कहा कि एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद उनके खिलाफ लगाए जा रहे सभी आरोपों और उठाए गए हर बिंदु पर क्रमवार जवाब देंगे। उनका दावा है कि अंतिम रिपोर्ट के बाद पूरा सच सामने आ जाएगा।

पत्र में चंपत राय ने अपने सार्वजनिक जीवन का भी उल्लेख किया। उन्होंने लिखा कि अक्टूबर 1991 में उन्हें संगठन द्वारा अयोध्या भेजा गया था और उनका प्रचारक जीवन 45 वर्षों का रहा है। उन्होंने कहा कि जहां–जहां उन्होंने कार्य किया, उनका जीवन एक खुली पुस्तक की तरह रहा है। अंत में उन्होंने सभी को आदरपूर्वक नमन किया। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर रामनगरी के संतों ने मिश्रित प्रतिक्रिया व्यक्त की। संतों ने कहा कि जो भी निर्णय हुआ, वह परिस्थितियों के अनुरूप उचित है। साथ ही उन्होंने चंपत राय को पूरी तरह निर्दोष बताते हुए कहा कि उनका इस्तीफा नैतिकता के आधार पर दिया गया कदम है, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। संतों ने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा प्रबंधन व्यवस्था को और अधिक सशक्त एवं पारदर्शी बनाने की दिशा में जो नई व्यवस्था की जा रही है, उसका भी स्वागत है। हालांकि उन्होंने मांग उठाई कि मंदिर की व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र निगरानी समिति का गठन किया जाए, जिसमें अयोध्या के वरिष्ठ संतों को प्रमुखता से शामिल किया जाए।

संतों का कहना था कि यदि अयोध्या के संतों की भागीदारी नहीं बढ़ाई गई तो भविष्य में भी इस प्रकार के विवाद और कलंक लगते रहेंगे। उन्होंने यह भी मांग की कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में रामानंदाचार्य परंपरा का समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। संतों ने कहा कि जहां संतों का मार्गदर्शन और सहभागिता होती है, वहां धर्म की स्थापना और व्यवस्थाओं में पारदर्शिता बनी रहती है। संतों ने यह भी कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी अपनी जिम्मेदारियां से बच रहे हैं। यदि चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय की लापरवाही है तो कहीं ना कहीं गोविंद देव गिरी की भी लापरवाही है ऐसे में इस्तीफा केवल चंपत राय से ही क्यों लिया गया। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के भेंट/चढ़ावा गणना कक्ष में हुई चोरी के मामले में गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पहली बार सार्वजनिक हुई है। यह रिपोर्ट श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में प्रस्तुत की गई। एसआईटी ने प्रथम दृष्टया माना है कि श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के भेंटध्चढ़ावा की गणना प्रक्रिया के दौरान चोरी और गबन की घटनाएं हुईं। 27 अप्रैल से पहले भी चोरी और गबन होता रहा, लेकिन उस अवधि का सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध न होने के कारण वास्तविक नुकसान का आकलन संभव नहीं हो सका।

आरोपियों के बयान और बैंक खातों में मिली आय से अधिक धनराशि से यह संकेत मिले हैं। उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज में गणना कर्मियों की ओर से करीब 70 बार नोटों की गड्डियां और खुले नोट छिपाने की घटनाएं दर्ज मिलीं। रिपोर्ट में न केवल चोरी और गबन की घटनाओं की पुष्टि की गई है, बल्कि ट्रस्ट, बैंक, गणना कक्ष की निगरानी व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधन और प्रशासनिक जवाबदेही पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। एसआईटी ने स्पष्ट किया है कि यह केवल प्रारंभिक जांच रिपोर्ट है, जबकि विस्तृत जांच अभी जारी है। एसआईटी ने पाया कि चोरी इसलिए संभव हुई क्योंकि निर्धारित सुरक्षा उपायों का प्रभावी पालन नहीं किया गया। प्रवेश और निकास पर तलाशी, निर्धारित वेशभूषा, निजी सामान पर प्रतिबंध, हुंडीवार गणना, मूल्यवर्गवार अभिलेखीकरण और प्रभावी निगरानी जैसी व्यवस्थाएं व्यवहार में लागू नहीं थीं। ट्रस्ट और बैंक दोनों के प्रतिनिधि मौजूद रहते थे, फिर भी अपराध लगातार होता रहा। रिपोर्ट में कहा गया है कि 20 सितंबर 2024 को ट्रस्ट और बैंक के बीच हुई सहमति में गणना कक्ष में आने–जाने वालों के लिए सख्त व्यवस्था थी। लेकिन छह फरवरी 2025 को जारी एसओपी में अनिवार्य तलाशी की व्यवस्था बदलकर नियमित अथवा रैंडम तलाशी कर दी गई। एसआईटी ने जांच रिपोर्ट के आधार पर आठ लोगों पर एफआईआर की संस्तुति की थी। इसके अलावा एसआईटी ने गणना कक्ष प्रभारी सुभाष श्रीवास्तव, गणना कक्ष में मौजूद अन्य पर्यवेक्षणीय कर्मियों तथा रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू के विरुद्ध भी प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना की संस्तुति की है।

वेलफेयर इंस्पेक्टर का मर्जर किया तो आंदोलन करेगी नरमू

संवाददाता–गोरखपुर। एनई रेलवे मजदूर यूनियन की ओर से केंद्रीय कार्यालय पर मंगलवार को बैठक की गई। इसमें महामंत्री बसंत लाल चतुर्वेदी के नेतृत्व में निर्णय लिया गया कि अगर रेल प्रशासन ने वेलफेयर इंस्पेक्टर के मर्जर करने का आदेश वापस नहीं लिया तो यूनियन आर–पार की लड़ाई लड़ेगी। चतुर्वेदी ने बताया कि इस संबंध में एआईआरएफ के महामंत्री शिवगोपाल मिश्र ने भी पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक को पत्र लिखकर इस विषय को संज्ञान में लेने की अपील की गई है। चतुर्वेदी ने कहा कि रेलवे बोर्ड के निर्देश के अनुसार इस तरह के मर्जर नियम विरुद्ध है, फिर भी स्थानीय मान्यता प्राप्त यूनियन के दबाव में अगर मर्जर किया गया तो नरमू बड़ा आंदोलन करेगी। बैठक में जोनल सेक्रेटरी ओंकारनाथ सिंह, केंद्रीय कोषाध्यक्ष विनय श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष अतुल सिंह, मंडल मंत्री संजय कुमार पाण्डेय, हरीश चन्द्र यादव, मुकेश कुमार मल्ल, संजय मालवीय, प्रभाकर यादव, राकेश, संजय यादव, रामनारायण यादव, राम आशीष यादव आदि उपस्थित रहे।

डीडीयू के होम साइंस विभाग में रोपे गए आम के पौधे

संवाददाता–गोरखपुर। एनई दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के परिसर में होम साइंस विभाग के पीछे पौधेरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शुभारंभ कुलपति प्रो. पूनम टंडन ने आम का पौधा रोपित कर किया। कुलपति ने कहा कि वृक्ष केवल पर्यावरण संरक्षण का माध्यम नहीं हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए अमूल्य प्राकृतिक धरोहर हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना के विश्वविद्यालय समन्वयक डॉ. सत्यपाल सिंह, होम साइंस विभाग की अध्यक्ष प्रो. दिव्या रानी सिंह, प्राकृतिक विज्ञान संस्थान के निदेशक प्रो. आरआर सिंह मौजूद रहे।

उप निदेशक ने चंगेरा मंगेरा पंचायत भवन का निरीक्षण किया, निर्माण कार्य की गुणवत्ता से संतुष्ट होकर की सराहना

संवाददाता–संतकबीरनगर। आजमगढ़ मंडल के उप निदेशक (पंचायत) अभय कुमार शाही ने मंगलवार को संतकबीरनगर के विकासखंड सेमरियावां स्थित ग्राम पंचायत चांगेरा मंगेरा का निरीक्षण किया। उन्होंने पंचायत भवन के निर्माण कार्यों और उपलब्ध सुविधाओं का अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान, उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता और पंचायत भवन की व्यवस्था पर संतोष व्यक्त करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि शेषनाथ यादव और संबंधित अधिकारियों की प्रशंसा की। उप निदेशक ने पंचायत भवन की संरचना, साफ–सफाई और अभिलेखों के रखरखाव की जानकारी ली। उन्होंने ग्रामीणों को प्रदान की जा रही सुविधाओं का भी जायजा लिया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि पंचायत भवन सुचारु रूप से संचालित रहे और शासन की सभी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचे। निरीक्षण के दौरान, उप निदेशक ने ग्राम पंचायत के अंत्येष्टि स्थल का भी दौरा किया। इंटरलॉकिंग और बाउंड्री वॉल का कार्य अधूरा पाए जाने पर, उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इसे प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने जोर दिया कि सार्वजनिक उपयोग के स्थलों पर मूलभूत सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराना पंचायत की जिम्मेदारी है। इससे पहले, उप निदेशक (पंचायत) ने विकास भवन में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला कंसल्टेंट और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली और कार्यों को निर्धारित समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। अपने दौरे के दौरान, शाही ने विकासखंड खलीलाबाद की ग्राम पंचायत नेहिया खुर्द बुजुर्ग में पंचायत भवन, सीएससी और आरआरसी का भी निरीक्षण किया। उन्होंने खेल मैदान के समीप हरिशंकरी पौधे का रोपण भी किया। इसके बाद, उन्होंने विकासखंड सेमरियावां की ग्राम पंचायत टेमारहमत में अंत्येष्टि स्थल का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

24 जुलाई को हरिशंकरी महाअभियान

संवाददाता–सिद्धार्थनगर। 24 जुलाई को पर्यावरण संरक्षण के लिए वृहद हरिशंकरी पौधरोपण अभियान चलाया जाएगा। इस महाअभियान के तहत जिले की सभी ग्राम पंचायतों और नगर पालिका व नगर पंचायतों के प्रत्येक वार्ड में एक साथ हरिशंकरी के पौधे लगाए जाएंगे। अभियान की तैयारियों की समीक्षा मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि हरिशंकरी पौधरोपण केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता संवर्धन और सामाजिक सहभागिता का एक महत्वपूर्ण अभियान है। उन्होंने जोर दिया कि जिले के हर गांव और नगर निकाय के हर वार्ड में एक ही दिन पौधरोपण कर इसे जनआंदोलन का रूप दिया जाएगा। इस पहल में प्रशासन के साथ–साथ सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। जिलाधिकारी ने सभी खंड विकास अधिकारियों, नगर पालिका और नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वे अपने–अपने क्षेत्रों में ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधि, नगर पालिका एवं नगर पंचायत अध्यक्ष, वार्ड सदस्यों तथा सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों के साथ तत्काल बैठक कर विस्तृत कार्ययोजना बनाएं। इसमें पौधों के रोपण स्थल, उपस्थित अधिकारी–जनप्रतिनिधि और पौधों की देखभाल की जिम्मेदारी का निर्धारण पहले ही कर लिया जाए, ताकि अभियान सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पौधरोपण का उद्देश्य केवल पौधे लगाना नहीं, बल्कि उन्हें जीवित रखना भी है। इसके लिए प्रत्येक लगाए गए पौधे की सुरक्षा हेतु ट्री–गार्ड लगाए जाएं और उनकी नियमित निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। पौधों की देखरेख की जिम्मेदारी स्थानीय स्तर पर तय की जाएगी, जिससे ये पौधे भविष्य में पर्यावरण संरक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी बलराम सिंह, विभिन्न विभागों के अधिकारी और सामाजिक–धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।

चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस को मिली अनुकल्प, लवकुश और करुणेश की 40 घंटे की रिमांड

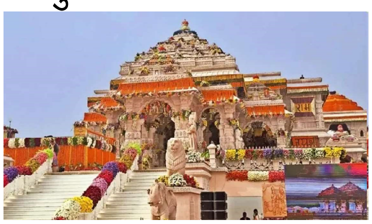

संवाददाता–अयोध्या। राम मंदिर के चढ़ावा चोरी प्रकरण में पुलिस को तीन अन्य आरोपितों का कस्टडी रिमांड मिल गया है। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) ने जेल में निरुद्ध अनुकल्प मिश्र, उसके बहनोई लवकुश मिश्र व करुणेश पांडेय का 40 घंटे का रिमांड स्वीकृत कर दिया है। पुलिस इन्हें बुधवार की सुबह छह बजे से गुरुवार रात दस बजे तक अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करेगी। आरोपित अविनाश शुक्ल के बाद अब न्यायालय ने अन्य तीन आरोपितों का पुलिस रिमांड दिया है। हालांकि, पुलिस ने इनका सात दिन का रिमांड मांगा था, लेकिन कोर्ट ने सीमित अवधि का ही रिमांड मंजूर किया। गत दिनों जेल में पूछताछ के दौरान पुलिस को आरोपितों के बयान से कुछ ऐसे सुराग हाथ लगे हैं, जिनके आधार पर पुलिस इनकी निशांदेही पर बरामदगी कर सकती है। रिमांड अर्जी पर मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान आरोपितों की ओर से डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल कुलशेखर सिंह ने पुलिस के आवेदन पर विरोध दर्ज कराया। तर्क दिया कि पुलिस रिमांड के बहाने आरोपितों का उत्पीड़न कर सकती है। उनका कहना था कि यदि पुलिस को किसी सामान की बरामदगी या तलाशी लेनी है, तो वह जिला मजिस्ट्रेट से आदेश प्राप्त कर आरोपितों के घरों की तलाशी भी ले सकती है। ऐसे में पुलिस कस्टडी रिमांड की आवश्यकता नहीं है। इससे पहले आरोपित अविनाश शुक्ल की निशांदेही पर चारपहिया वाहन समेत कई सामान बरामद किए गए थे। इन्हीं बरामदगी और पूछताछ में मिले सुरागों के आधार पर पुलिस ने अन्य तीनों आरोपितों की कस्टडी ली है। तीनों आरोपितों को पुलिस आठ जुलाई की सुबह छह बजे से नौ जुलाई की रात 10 बजे तक अपनी कस्टडी में रखेगी। ऐसे में पुलिस को शर्तों का पूरा पालन करना होगा। कस्टडी लेने से पूर्व आरोपितों का चिकित्सीय परीक्षण कराया जाएगा। आरोपितों के जेल से निकलते ही समयावधि शुरू हो जाएगी। पूछताछ के लिए पुलिस उन्हें संभावित ठिकानों पर ले जा सकेगी। आरोपितों की ओर से उनके अधिवक्ता को उनसे कुछ दूरी बनाकर साथ रहने का भी अधिकार दिया गया है। जेल भेजने से पहले आरोपितों का पुनरू चिकित्सीय परीक्षण होगा।

मिस सेलिंग पर 10.45 लाख रुपए ब्याज सहित लौटाने का आदेश

संवाददाता–संतकबीर नगर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बीमा पॉलिसी की मिससेलिंग के मामले में एक बीमा कंपनी को पॉलिसी निरस्त कर 10.45 लाख रुपए की प्रीमियम राशि 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया है। आयोग ने मानसिक और आर्थिक क्षति के लिए 60 हजार रुपए अतिरिक्त क्षतिपूर्ति देने का भी निर्देश दिया। यह फैसला मंगलवार को सुनाया गया। यह फैसला जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह और महिला सदस्य संतोष की पीठ ने सुनाया। परिवाद कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के पटखौली स्थित अशोका हॉस्पिटल के संचालक डॉ. अशोक कुमार ने दायर किया था। डॉ. अशोक कुमार ने अद्विक लीगल कंसल्टेंसी के माध्यम से दायर वाद में बताया कि 21 दिसंबर 2022 को टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस के प्रतिनिधि उनके अस्पताल आए थे। प्रतिनिधियों ने उन्हें स्मार्ट संपूर्ण रक्षा प्लान को 75 लाख रुपए मैच्योरिटी बेनिफिट वाली एकल प्रीमियम योजना बताकर खरीदने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद उनसे पहले वर्ष का 5,22,500 रुपए प्रीमियम जमा कराया गया। शिकायत में कहा गया कि प्रस्ताव पत्र में कई त्रुटियां थीं और उस पर डॉ. कुमार के हस्ताक्षर भी नहीं लिए गए थे। पॉलिसी बॉन्ड फ्री–लुक अवधि समाप्त होने के बाद उपलब्ध कराया गया, जिसके कारण वे निर्धारित समय में पॉलिसी निरस्त नहीं करा सके। नतीजतन, उन्हें दूसरे वर्ष का भी 5,22,500 रुपए प्रीमियम जमा करना पड़ा, जिससे कुल जमा राशि 10.45 लाख रुपए हो गई।

डॉ. कुमार ने यह भी आरोप लगाया कि जिस सर्विसिंग एजेंट या इंश्योरेंस ब्रोकर के माध्यम से पॉलिसी जारी की गई थी, उनसे उनकी कभी मुलाकात नहीं हुई। वर्ष 2024 में उन्होंने दोनों प्रीमियम की राशि वापस करने की मांग की, लेकिन बीमा कंपनी ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद उन्होंने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया। आयोग ने दोनों पक्षों के तर्कों, अभिलेखों और साक्ष्यों का परीक्षण किया। बीमा कंपनी की सेवा में कमी और मिससेलिंग को गंभीर मानते हुए आयोग ने पॉलिसी निरस्त करने का आदेश दिया। कंपनी को 11 जनवरी 2024 से अंतिम भुगतान तक 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 10.45 लाख रुपए लौटाने का निर्देश दिया गया है।

सूचना

सूचित किया जाता है कि मैं सफिया खातून पत्नी जुबैर अहमद खान, निवासी ग्राम भाटपारा, पोस्ट बाघनगर, जनपद संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश सूचित करती हूं कि मेरा पूर्व नाम साफिया खातून SAFIAYA KHATOON था, जिसे मैंने स्वेच्छा से परिवर्तित कर SAFIYA KHATOON रख लिया है। भविष्य में मुझे सभी शासकीय, अर्धशासकीय, बैंकिंग, शैक्षिक एवं अन्य समस्त कार्यों/अभिलेखों में SAFIYA KHATOON के नाम से ही जाना, व पहचाना जाए। SAFIAYA KHATOON और SAFIYA KHATOON दोनों नाम एक ही मेरे ही हैं।

(सफिया खातून)

सूचना

सूचित किया जाता है कि मैं आयशा शेख पत्नी अब्दुल खालिक खान, निवासी ग्राम भाटपारा, पोस्ट बाघनगर, जनपद संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश ने अपना नाम आयशा खातूनAYESHA KHATOON से बदलकर आयशा शेख AISHA SHAIK रख लिया है। भविष्य में मुझे सभी शासकीय, अर्धशासकीय, बैंकिंग, शैक्षिक एवं अन्य अभिलेखों में AISHA SHAIK के नाम से ही जाना, पहचाना एवं संबोधित किया जाए। दोनों नाम एक ही व्यक्ति अर्थात मेरे ही हैं।–आयशा शेख

अदालती नोटिस

सम्मन बनाम कायम मुकाम कानूनी मुदाअलेह मुतवफ्फा
(आर्डर 22, कायदा 4)
न्यायालय–श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) एफ0टी0सी0 बस्ती जिला–बस्ती
मूलवाद सं0–304/2011
रामसुरेमन
बनाम
सतरूपा

1/1 रत्नेश कुमार 1/2 दिनेश कुमार 1/3 प्रमोद कुमार 1/4 पंकज पाण्डेय 1/5 सुधीर पाण्डेय पुत्रगण शिवपूजन समस्त निवासीगण ग्राम सिकन्दरपुर तप्पा चरकैला परगना महुली पश्चिम तहसील व जिला बस्ती

तारीख पेशी 24–07–2026

हरगाह मुद्दई ने एक नालिश इस अदालत में बतारीख माह सन 20 ई0 बनाम मुद्दाअलेह के रूजू की थी, जो बाद की मौत हरगाह मुद्दई मजकूर ने एक दरख्वास्त इस अदालत में गुजारी है कि आप मुतवफ्फा मजकूर का कायम मुकाम कानूनी वारिस है और चाहता है कि बजाय उसके मुद्दाअलेह बनाये जांय। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि बतारीख 24 माह 07 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर मुकदमा मजकूर जबाबदेही कीजिये और अगर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा वगैर हाजिरी आपके मसमूअ और फैसला होगा।

बवक्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय– श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला–बस्ती
मूलवाद सं0–57/2025
मो0 रफीक उर्फ रफीकुद्दीन
बनाम
ताज मोहम्मद

1– ताज मोहम्मद पुत्र अमीर निवासी ग्राम मनिकरपुर तप्पा पुरैना परगना अमोढ़ा तहसील हर्रैया जिला बस्ती

तारीख पेशी 30–07–2026

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 30 माह 07 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

आम के पेड़ से लटका मिला युवक का शव

संवाददाता–सिद्धार्थनगर। जिले में एक आम के पेड़ में युवक का शव लटका मिला। घटना की सूचना मिलते ही लोगों की भीड़ लग गई। मां ने युवक की प्रेमिका के घर वालों पर हत्या करके शव लटकाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उसका बाजार थाना क्षेत्र के भठिया गांव में मंगलवार सुबह गांव के सिवान स्थित एक आम के पेड़ से एक युवक का शव लटका मिला। घटना की सूचना फैलते ही ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर जुट गई।युवक की पहचान भठिया गांव के सेमराहना टोला निवासी ध्रुव यादव पुत्र हरिराम यादव के रूप में हुई है।

परिजनों के अनुसार, ध्रुव कुछ दिन पहले ही मुंबई से अपने गांव लौटा था। मृतक की मां ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि ध्रुव का गांव की ही एक युवती से प्रेम–प्रसंग था, जिसका युवती के परिजन विरोध कर रहे थे। मां का आरोप है कि इसी रंजिश में युवती के परिजनों ने ध्रुव की हत्या कर दी और बाद में इसे आत्महत्या दिखाने के लिए शव को आम के पेड़ से लटका दिया। घर वालों ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उसका बाजार थानाध्यक्ष संतोष तिवारी का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। यदि जांच में हत्या की पुष्टि होती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा।

कांग्रेसियों ने 'सद्बुद्धि यात्रा' निकाली, श्रीराम मंदिर में अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की मांग

संवाददाता–सिद्धार्थनगर। अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में कथित वित्तीय अनियमितताओं के विरोध में मंगलवार को जिला कांग्रेस कमेटी ने नौगढ़ में श्सद्बुद्धि यात्राश निकाली। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आयोजित इस यात्रा का नेतृत्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष काजी सुहेल अहमद ने किया।

यह यात्रा नौगढ़ तहसील परिसर से शुरू होकर हनुमान मंदिर तक पहुंची। समापन पर देश, प्रदेश और समाज में सत्य, न्याय, सद्भाव तथा धार्मिक संस्थाओं की गरिमा बनाए रखने की प्रार्थना की गई। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्रीराम मंदिर में चढ़ावे से जुड़ी कथित अनियमितताओं की उच्च स्तरीय एवं निष्पक्ष जांच की मांग उठाई।

जिला कांग्रेस अध्यक्ष काजी सुहेल अहमद ने इस अवसर पर कहा कि भगवान श्रीराम करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र हैं। उन्होंने जोर दिया कि यदि श्रद्धालुओं के चढ़ावे से जुड़ी किसी प्रकार की अनियमितता हुई है, तो उसकी निष्पक्ष और समयबद्ध जांच होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस किसी धर्म के विरोध में नहीं, बल्कि आस्था की पवित्रता, पारदर्शिता और जवाबदेही के पक्ष में खड़ी है।

कार्यक्रम में डॉ. नादिर सलाम, कृष्ण बहादुर सिंह, जावेद मोकीम, अनिल सिंह अन्नू, सतीश चंद्र त्रिपाठी, सादिक अहमद और राजन श्रीवास्तव सहित अन्य नेताओं ने भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों की पवित्रता और श्रद्धालुओं के विश्वास की रक्षा करना सभी की जिम्मेदारी है। यदि कोई अनियमितता हुई है, तो उसकी निष्पक्ष जांच कर सच्चाई देश के सामने लाई जानी चाहिए।

इस श्सद्बुद्धि यात्राश में अकील अहमद मुन्नू, पंकज चतुर्वेदी, गालिब बिसेन, दीपक यदुवंशी, गंगेश्वर राय, अश्विनी सिंह सोलंकी, रियाज मनिहार, सुदामा प्रसाद, आसिफ रिजवी, मनोज श्रीवास्तव, विक्की रिजवी, पवन पांडेय, पप्पू खान, हृषीकेश मिश्रा, परमहंस मिश्रा, कपिल देव यादव, जाकिर हुसैन, होरीलाल श्रीवास्तव, डॉ. प्रमोद कुमार, संतोष चौधरी, ओमप्रकाश दूबे, शौकत अली, श्याम किशोर पांडेय, सुरेश शुक्ला, अशोक गुप्ता, रुखमीना साहनी, अखलाक सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

सूचना

सूचित किया जाता है कि मैं, जुबैर अहमद खान पुत्र अफजल हुसैन, निवासी ग्राम भाटपारा, पोस्ट बाघनगर, जनपद संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश का निवासी हूं। मेरा पूर्व नाम जुबेर अहमद था ZUBAIR AHMAD था। मैंने स्वेच्छा से अपना नाम परिवर्तित जुबेर अहमद खान ZUBAIR AHMAD KHAN रख लिया है। भविष्य में मुझे सभी शासकीय, अर्ध शासकीय, बैंकिंग, शैक्षिक एवं अन्य अभिलेखों में जुबेर अहमद खान ZUBAIR AHMAD KHAN के नाम से ही जाना, पहचाना एवं संबोधित किया जाए। ZUBAIR AHMAD और ZUBAIR AHMAD KHANदोनों नाम एक ही व्यक्ति मेरे ही हैं।

– जुबैर अहमद खान

दैनिक भारतीय बस्ती

संस्थापक सम्पादक स्व. दिनेश चन्द्र पाण्डेय

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक प्रदीप चन्द्र पाण्डेय द्वारा दर्पण प्रिन्टिंग प्रेस वि0. नया हाल 1–4 A लोहिया काम्पलेक्स जिला पंचायत भवन गांधीनगर बस्ती (उ.प्र.) से मुद्रित एवं प्रकाशित।

प्रबन्ध सम्पादक–**दिनेश सिंह**
संयुक्त सम्पादक–**प्रदीप चन्द्र पाण्डेय**

अयोध्या–फैजाबाद कार्यालय–
चतुर्भुजी मंदिर परिसर लक्ष्मण घाट अयोध्या–फैजाबाद

लखनऊ कार्यालय–
आशियाना चौराहा, एल.डी.ए. कालोनी, सेक्टर एच. कानपुर रोड लखनऊ।

गोरखपुर कार्यालय–
इलाहीबाग गोरखपुर।
मो0 9336715406, 8400925463
ई.मेल **bhartiyabasti@gmail.com**
dainikbhartiyabasti@gmail.com